राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्यय सत्र की कार्यवाही

सत्रहवीं बैठक, बुधवार—दिनांक २३ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख २३ अप्रेल, सन् १९५२ को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर, में ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

अल्पकाल—सूचना प्रश्न

प्रश्न संख्या ५४

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या महकमा "गुनीजन खाना" राजस्थान निमार्ण के बाद भी कायम है?

(ख) यदि हां तो उस पर क्या व्यय होता है और उसका क्या उपयोग है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—गुनीजन खाना, जयपुर, को समाप्त कर दिया गया है। कुछ कर्मचारियों को कमी करने का आदेश अक्टूबर १९४९ में जारी कर दिये गये थे और बाकी कर्मचारी—गण सितम्बर १९५० में हटा दिये गये थे।

श्री कपिलदेव:—इस प्रश्न का मतलब केवल जयपुर के लिए नहीं किन्तु सारे राजस्थान के लिए है। क्या बीकानेर, उदयपुर आदि में भी गुनीजन खाना था?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—राजस्थान के निर्माण के बाद कहीं भी गुनीजन खाना कायम नहीं है, दूसरी जगह कोई गुनीजन खाना था ही नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:—गुनीजन खाना हटा देने से मनोरन्जन के लिए सरकार ने और कोई तजबीज की है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मुझे जहां तक मालूम है दिलचस्पी रखने वाले अपना अपना मनोरन्जन कर ही लेते हैं।

श्री मानसिंह:—इस गुनीजन खाने को हटा देने से जो लोग विस्थापित हो गय हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ विचार किया है?

माननीय अध्यक्ष:–ऑर्डर, ऑर्डर, दूसरा सवाल पूछा जाय।

प्रश्न संख्या ५५

श्री नारायण चतुर्वेदी:–क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का क्या आधार है ?

(२) राजस्थान के किन किन समाचार पत्रों को जनवरी ५२ से लेकर मार्च ५२ तक कितनी रकम मासिक का विज्ञापन दिया गया है ?

(३) क्या प्रकाशन विभाग की जानकारी में ऐसे समाचार पत्र हैं जिनका सरक्युलेशन ज्यादा है और जो सरकारी नीति का समर्थन करते हैं लेकिन उन्हें विज्ञापन नहीं दिया जाता।

(४) क्या यह वाकया है कि ऐसे पत्रों को गये ६ मास में विज्ञापन दिया गया, जो केवल तभी प्रकाशित हुए जब विज्ञापन उनमें छपे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–सरकारी विज्ञापन सिर्फ उन्हीं समाचार पत्रों को दिये जाते हैं जो सरकार से स्वीकृत हैं। पत्रों को विज्ञापन देने के लिए मन्जूर करने से पहले इनके स्तर के बारे में, उनके सरक्युलेशन के बारे में और स्टेन्डर्ड के बारे में जांच करली जाती है।

(२) नोटिस चाहिये ।

(३) जिनके समाचार पत्रों के प्रार्थनापत्र आते हैं उनको विज्ञापन देना मन्जूर किया जाता है ।

(४) नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या सरकारी नीति के समर्थक पत्रकारों को एड (सहायता) देने के लिए यह जरूरी शर्त है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–नहीं।

प्रश्न संख्या ५६

श्री तेजपाल एम. एल. ए.:–क्या माननीय मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि भरतपुर कलेक्टरी और किले के मुख्य दरवाजे पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ भरतपुर महाराजा का झंडा भी फहरा रहा है ?

(ख) यदि है तो ऐसा झंडा जो कि राजस्थान के एकीकरण के बाद महत्व नहीं रखता क्यों लहराना चाहिये ?

श्री हरिदत्त:–ऑन दी पाइन्ट आफ आर्डर, सर,

मेरा ऐतराज यह है कि यह सवाल रूल नं० १९ के तहत नहीं पूछा जा सकता क्योंकि यह क्वश्चन (प्रश्न) जनरल पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं है। इसको एडमिट (स्वीकार) नहीं किया जा सकता ।

श्री कपिलदेव:–क्या माननीय सदस्य इस सवाल के लेने के बारे में ऐतराज कर सकते हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के किले के दरवाजे पर भरतपुर महाराजा का झंडा फहराता रहा ह। भरतपुर की बिल्डिगों पर भी राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ भरतपुर महाराजा का झंडा भी फहराता रहा ह। निस्सन्देह यह उचित नहीं था और अब वह झंडा वहां से हटा दिया गया है।

श्री हरिदत्त:– किले के दरवाजे पर जो झंडा फहरा रहा है वह महाराजा का नहीं है। महाराजा का झंडा महलों पर फहराता ह। जो वह झंडा ह उसका जवाब मुख्य मंत्री ने जो दिया वह सही नहीं है।

श्री कपिलदेव:–यु विल नोट सजेस्ट रिप्लाई।

श्री हरिदत्त:–क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बता सकेंगे कि महाराजा का झंडा जो किले पर ह उसकी इत्तला कैसे प्राप्त हुई।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–किले के दरवाजे पर और कलेक्टरी के बिल्डिग पर राष्ट्रीय झंडे के अलावा कोई दूसरा झंडा लगाना उचित नहीं था।

श्री गोपीलाल यादव:–अगर यह अनुचित था तो यह तीन साल अनुचित कार्य क्यों होता रहा; इसका जवाब आने पर मैं दूसरी बातें पूछूंगा।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–शायद माननीय सदस्य को मालूम है कि जिस समय मत्स्य बना था उस समय कुछ झगड़ा हुआ था और उस समय वह बिल्कुल रेग्युलर न होते हुए भी वहां वह झंडा फहराता रहा। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसको हटा देना चाहिये था किन्तु उस समय ऐसा न हो सका, अब ऐसा कर दिया गया है।

श्री गोपीलाल यादव:–क्या माननीय मुख्य मंत्री को पता ह कि भरतपुर महाराजा का जो झंडा वहां फहरा रहा था उसके लिए भरतपुर महाराजा को कुछ प्रिविलेजेज थे जो उनके और स्टेट मिनिस्ट्री के बीच तय हुए थे जो इस सरकार के अधिकार से बाहर की बात है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि महाराजा के साथ कोई इस प्रकार का समझौता हुआ हो या इस प्रकार की शर्त हुई हो। मुझ से ज्यादा यदि माननीय सदस्य को जानकारी है तो वे दे सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादवः—बगैर जानकारी के हटाने का हुक्म क्यों दिया गया ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—मेरा जानकारी है कि कहीं भी इस प्रकार का झंडा लहराना कोई औचित्य नहीं।

श्री कानसिंहः—जिस जगह झंडा फहरा रहा है क्या वह निजी संपत्ति है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—निजी सम्पत्ति नहीं।

श्री तेजमलः—माननीय मुख्य मंत्री ने बताया है कि वह झंडा उतार लिया गया है, कब उतार लिया गया है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-अब से पहले उतार लिया गया है।

श्री कुम्भारामः—क्या इस प्रश्न के पेश करने के बाद या पहले ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-मैंने कहा कि आज से पहले ही उतार लिया गया है।

प्रश्न संख्या ५७

श्री सोहनलालः—क्या माननीय ट्रान्सपोर्ट मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कई जगह पब्लिक बसों में मजिस्ट्रेट्स, पुलिस व अन्य राज्य कर्मचारी निःशुल्क सफर करते हैं जिससे बस ओपरेटर्स द्वारा ट्रान्सपोर्ट रूल्स की अवहेलना की जाती है और जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। क्या सरकार इस बारे में कोई सख्त कदम उठा रही है, या नहीं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना टिकिट के यात्रा करना मना है। यदि इस प्रकार का कोई भी उदाहरण माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या सरकारी नौकरों के लिए बसों की सीटें रिजर्व्ड होती हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—नहीं।

श्री कपिलदेवः—क्या सरकार ने, इस आज्ञा की अवहेलना करने वालों के लिए सजा मुकर्रर कर रखी है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–ऐसे केस सामने आने पर उनकी जांच करके दंड दिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास:–क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी कर्मचारी अथवा पुलिस अफसर बसों में फ्री सफर नहीं करें; इसलिए उन्हें पासेज दे दिए जायं, और उनका पैसा मोटर बस वालों को डिपार्टमेन्ट से मिल जाया करे?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–ऐसी बात भी सोची जा सकती है।

श्री कपिलदेव:–क्या सरकार को मालूम है कि वे खुद ही मुफ्त में नहीं बैठते दोस्तों को भी मुफ्त में बैठाते हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू):–ऐसी बात कैसे नोटिस में आयेगी?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–जब कोई भी माननीय सदस्य लाएंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास:–अब तो सरकार के नोटिस में आगई है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–माननीय सदस्य ने अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं बताया है।

श्री कपिलदेव:–सरकार के नोटिस में नहीं, व्यक्तिगत नोटिस में भी नहीं है क्या?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मंत्रीमंडल ही सरकार है।

प्रश्न संख्या ५८

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या माननीय राजस्व मंत्री यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि बिहार रिलीफ फंड के लिये जो रकम जमा हुई है वह उसी फंड में जमा हुई है या नहीं?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–राजस्थान के अलग २ हिस्सों में कलेक्टरों के द्वारा बिहार रिलीफ फंड के लिए रकम जमा की गई थी और वह निजी प्रमुख सेक्रेटी टू दी प्राइमिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भेज दी गई है।

श्री जसवन्तसिंह:–राजस्थान में कुल रकम कितनी इकट्ठी हुई?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इसके लिए में नोटिस चाहूंगा।

श्री मोतीराम:–क्या वह एक नम्बरदार के बतौर खाने के काम में नहीं ली जा रही है और उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है? वह धान गलकर सड़

जायगा और किसी काम में नहीं आयेगा। पहले वह बिहार फंड के नाम से वसूल किया गया और बाद में कह दिया गया कि राजस्थान में अकाल है इसलिये अकाल ग्रसित क्षेत्रों के काम में लाया जायेगा। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कहां काम में लिया गया ? किसानों के बारह और साढे बारह रुपये जो लिए गये थे क्या वह इन नम्बरदारों और गिरदावरों के खाने के लिए थे ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह सारी जानकारी मुझे पहले से नहीं है। इसके लिए भी मैं नोटिस चाहूंगा यह जानकारी करने के लिए कि किन नम्बरदारों और गिरदावरों ने यह रोक रखा है, और वह कहां है।

श्री कुम्भाराम:—कितने दिन के नोटिस की सरकार को जरूरत है।

श्री देवीसिंह:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो ८–८ रुपये किसानों से जबरदस्ती वसूल किए गये, वह इन नम्बरदारों के लिए वसूल किए गए थे ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—चन्दा कभी कम्पलसरी नहीं होता।

श्री कुम्भाराम:—सरकार को कितने दिन के नोटिस की जरूरत है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—नियमों के माफिक जांच करने में समय लगेगा ही।

श्री छोटूसिंह:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किस २ जगह की कितनी रकम जमा करादी गई है।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह मैं सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कहता हूं कि काफी रकम जमा करादी गई है पर किस किस जगह की कितनी रकम जमा करादी गई है, इसके लिए मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यह प्रार्थना की थी कि जब एक प्रश्न पूछा जाता है तो माननीय मंत्री महोदय को तैयार होकर आना चाहिए। कोई भी जो छोटे २ सप्लीमेन्ट्री क्वश्चन होते हैं उनके लिए हर समय नोटिस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—हर समय नोटिस की आवश्यकता नहीं होती, मगर जब माननीय सदस्य प्रश्न के अलावा भी कोई बात पूछ बैठते हैं तो उसकी जानकारी के लिए समय की मांग की जा सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—क्या यह सच है कि यह वसूली कलेक्टरों के द्वारा नहीं हुई बल्कि पटवारियों और तहसीलदारों के द्वारा हुई।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इसके लिए भी मैं नोटिस चाहूंगा, इस जानकारी के लिए कि यह पटवारियों के द्वारा हुई थी या किसी अन्य के द्वारा। यहां पर तो कलेक्टरों द्वारा प्राप्त हुई है।

श्री गुरुदयाल सन्धु :–क्या यह सवाल १५ दिन से पहले २ नहीं पेश हो चुका था।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–लेकिन और अधिक जानकारी के लिए नोटिस मांगा जा सकता है।

श्री मानसिंह:–सवाल में यह पूछा गया है कि इस फंड के लिये जो रकम इकट्ठी हुई क्या वह उसी फण्ड में जमा हुई या नहीं? इससे यह जवाब नहीं मिलता कि कितना रुपया जमा करा दिया गया है। कितना रुपया कलेक्टरों द्वारा पूरा कर दिया गया और कितना धान बेकार हुआ है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जो प्रश्न किया जा चुका है उस पर एक दूसरा प्रश्न है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या सरकार इन सबकी जांच करने की कोशिश करेगी

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जरूर।

प्रश्न संख्या ५६

श्री रोशनलाल:–क्या माननीय सप्लाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार दस वर्ष में सर्वांगीण उन्नति शिड्यूल ट्राइब्स के लिए करने का निश्चय कर लिया गया है, उसके अनुसार राजस्थान सरकार ने कोई योजना बना कर लागू की है?

माननीया श्री भोगीलाल पंड्या:–शिड्यूल ट्राइब्स की उन्नति और शिड्यूल एरिया के नव निर्माण के लिए सरकार ने आवश्यक योजनायें बना ली हैं। यह योजना हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक पद्धति और आर्थिक दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखती है। कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इसके लिए हमें भारत सरकार से संविधान के आर्टिकल नं० २७५(१) के अन्तर्गत सहायता भी मिल रही है।

श्री रोशनलाल:–क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि मेवाड़ का जो हिस्सा चित्तौड़गढ़ का है उसमें अधिकतर जन संख्या भीलों की है उसको शामिल नहीं किया गया, पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को शामिल किया गया है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–माननीय सदस्य और अन्य लोगों ने पहले तो इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। जब सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया तो इस ओर कार्यवाही की गई और भारत सरकार से प्रार्थना की गई

कि राजस्थान की कुछ जातियां और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इनमें शामिल कर लिये जायं। भारतीय संविधान के नियमानुसार यह कार्य केवल लिख देने मात्र से ही नहीं होता। इसके लिए कांस्टिट्युएन्ट एसेम्बली के अधिवेशन में ७५ प्रतिशत सदस्यों की स्वीकृति से इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं तभी इसकी कार्यवाही हो सकती है।

श्री रोशनलाल:—राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जब शिड्यूल एरिया घोषित कराया उस वक्त मेवाड़ का ध्यान क्यों नहीं रखा गया जबकि वहां भीलों की जन संख्या डूंगरपुर के बराबर है और इसके लिए क्या माननीय सदस्यों को जैसा कि आपने कहा, ध्यान रखना आवश्यक है।

माननीय **श्री भोगीलाल पंड्या**:—हो सकता है कि सरकार ने उस समय मेवाड़ का जो भील एरिया है उसको इस योग्य नहीं समझा हो और माननीय सदस्य और उनके साथियों ने जब कि यह गजट में निकल चुका था, इसका प्रयत्न नहीं किया और वह रह गया हो।

श्री सोहनलाल:—बांसवाडा और डूंगरपुर में भील रहते हैं जब कि मेवाड़ में मीणे रहते हैं। दोनों में समानता होते हुए भी मीणे संविधान में डिक्लेयर होने से वंचित रहे।

माननीय **श्री भोगीलाल पंड्या**:—हां, वहां के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पहले से ध्यान नहीं रखा। मेवाड़ के जो भील हैं आमतौर से यह ख्याल करते हैं कि हम मीणे लिखे जाने से कुछ ऊंचे हो जाते हैं, इसलिये उन्होंने अपने आपको मीणा लिखने से मना नहीं किया। वैसे मेवाड़ के मीणों और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों में शादियां वगैरा भी हुआ करती है, वास्तव में वह भील हैं लेकिन उन्होंने मीणा लिखा दिया। तो हमें भी और वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह की जो गल्ती की जा रही है उसको रोका जाय।

श्री रोशनलाल:—जो रकम अभी भारत सरकार से राजस्थान को मिलेगी उसमें से मेवाड़ में भी खर्च की जायगी? क्या अगर की जायगी तो क्या उसी अनुपात से जिस अनुपात से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जा रही है।

माननीय **श्री भोगीलाल पंड्या**:—नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता, किन्तु राजस्थान सरकार इसके लिए ध्यान रखेगी। उन भीलों के अलावा जो भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौडगढ़ की प्रतापगढ़ तहसीलों के शिड्यूल्ड कास्टस के व्यक्ति हैं राजस्थान सरकार सुविधानुसार मेवाड़ को भी सुविधा देने का प्रयत्न करेगी।

श्री रोशनलाल:—जो रकम बजट में रखी गई है क्या उस रक म १० वर्ष में भी शिड्यूल ट्राइब्स की उन्नति हो सकेगी।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—राजस्थान सरकार के जो आर्थिक साधन थे और जितना उसके लिए रुपया निकल सका उसने निकाला है।

श्री रोशनलाल:—यह दस साल का समय कब से माना जाएगा, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी?

श्री कंवरलाल जेलिया:—क्या कोटा आदि के लिये सरकार इस सम्बन्ध में सोचती है

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इस प्रकार की योजनाएं विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल:—अभी ऐसा बतलाया गया कि शिड्यूल ट्राइब्स के लिये गजट में नोटिस निकाला गया मगर वहां के कार्यकर्ताओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि वेही एरियाज शिड्यूल ट्राइब्स कहलाते जहां ५० प्रतिशत से ज्यादा उनकी आबादी हो, अन्यथा नहीं।

श्री रोशनलाल:—मेवाड़ में शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी डूंगरपुर के बराबर है तो फिर मेवाड़ को सेड्यूल्ड कास्ट में क्यों नहीं लिया गया।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं।

श्री रोशनलाल:—आदिवासियों, पिछड़ी हुई जातियों आदि के लिये किस प्रकार रकम खर्च की जावेगी।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इस सम्बन्ध में आपको बजट देखना चाहिए उसमें साफ लिखा है कि कितना रुपया शिड्यूल्ड कास्ट के लिये, कितना रुपया बेकवर्ड क्लासेज के लिये है? उसी के अनुसार खर्च किया जावेगा।

एक सदस्य:—क्या सरकार इस सम्बन्ध में कांस्टिट्युशन के अनुसार जो विशेष सुविधाएं मिली हैं प्रवन्ध करेगी?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—हां, उसके अनुसार एडवाइजरी कमेटी बनी है।

एक सदस्य:—सवाई माधोपुर में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जेवर और अच्छे कपड़े पहिनने पर एतराज किया जा रहा है; क्या सरकार उसके लिये कोई कदम उठाएगी?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः–माननीय सदस्य ने जो क्षेत्र बतलाया है वह शिड्यूल ट्राइब में नहीं आता। मगर किसी पर भी किसी प्रकार कहीं भी अत्याचार होता हो तो सरकार उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार को मालूम होते ही उसको शीघ्र ही बन्द करेगी।

श्री विशम्बरनाथ जोशीः–भारत सरकार से इसके लिये कितने रुपये दिये गये थे?

मानीनय श्री भोगीलाल पंड्याः–गत वर्ष ५ लाख रुपये दिये गये थ।

श्री रोशनलालः–हरिजन इलाकों के लिये··········

प्रश्न संख्या ६०

माननीय अध्यक्षः–ओर्डर, ओर्डर, श्री नारायण चतुर्वेदी

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः– Mr. Speaper, Sir, Shri Narayan Chaturvedi is absent to day. May I be permitted to put the question on his bebalf.

माननीय अध्यक्षः–एलाउड (आज्ञा दी जाती है)

(श्री नारायण चतुर्वेदी स्वयं आगए)

प्रश्न संख्या ६०

श्री नारायण चतुर्वेदीः–क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

१. कि बिजली विभाग में टेंडरों के लिफाफे टेन्डर देने वालों के सामने नहीं खोले जाते?

२. अगर नहीं खोले जाते हैं तो क्या उनमें फिर अन्दर ही अन्दर तब्दीली होजाती है?

माननीय श्री भोलानाथः–लिफाफे टेन्डर देने वालों के सामने खोले जाते हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः–क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर कोई कार्यवाही करने का आश्वासन दे सकेंगे कि कई दफे जान बूझ कर टेन्डर उनके सामने नहीं खोले गये?

माननीय श्री भोलानाथः–यदि ऐसी बात सरकार के नोटिस में लाई जावेगी तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या ६१

श्री कंवर तेजसिंहः–

(क) क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का विचार चोमू-रेनवाल दांता रामगढ सड़क को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करवाने का है ?

(ख) यदि है तो क्या मंत्रीजी इस तथ्य से भी परिचित हैं कि मौजूदा जो फेअर वेदर रोड चोमू से रेनवाल जाती है वह आस पास के सभी बड़े २ गांवों को छोड़ कर निकाली गई है ?

(ग) क्या मंत्रीजी से आशा की जावे कि पक्की सडक बनते वक्त प्रश्न (ख) पर पूरा ध्यान रखा जावेगा ?

माननीय श्री भोलानाथः–इस सड़क को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया । क्योंकि हमको ७ करोड़ की मांग में से सिर्फ २ करोड़ ९० लाख ही ५ वर्ष के लिये मन्जूर हुए हैं । जो पंचवर्षीय योजना है उसके लिये उस क्षेत्र में चोमू से सीकर तक की मुख्य सड़क है । उसमें से हमको सिर्फ २९० लाख रुपये ही मंजूर हुए हैं। चोमू से सीकर के एरिया की मेन रोड इस स्कीम में शामिल है।

(ख) प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) प्रश्न उठता ही नहीं।

प्रश्न संख्या ६२

श्री भवानी सहायः–क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलवर से राजगढ जरिये, मालाखेड़ा जो कच्ची सड़क बहुत वर्षों से खराब पड़ी है, उसको पक्की बनाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर, इस प्रकार का कोई विचार है तो कितना रुपया और कब तक इस पर खर्च किया जायगा?

माननीय श्री भोलानाथः–इस समय अलवर से मलारखेड़ा होती हुई राजगढ के लिये मेटल्ड रोड बनाने का कोई ख्याल नहीं है । पंचवर्षीय योजना में भी इसको प्राथमिकता नहीं मिल सकती क्योंकि राजगढ अलवर से टेहला होकर मेटल्ड रोड से जुड़ा हुआ है।

श्री भवानी सहायः–लोरियों से सड़क द्वारा सामान जाने में जो सुविधा होनी चाहिये वह होती है या नहीं ? मैं समझता हूं कि हर्गिज नहीं होती । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर मोटर लोरी से सामान जाता है उसमें असुविधा होती है और इससे मंडियों पर भारी असर पड़ता है । लिहाजा क्या आप यह बतलायेंगे कि सड़कों के मामलों में मंडियों का भी ख्याल रखा जाता है या केवल आने जाने की सुविधा का ख्याल रखा जाता है ?

माननीय श्री भोलानाथः—एक स्थान को तीन तरह की सुविधाएं नहीं दी जा सकती; दो तरह की सुविधाएं एक साथ दी जा सकती हैं। एक तो यह स्थान रेल्वे लाइन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पक्की सड़क है और तीसरी फ़ेअर वेदर रोड है,; जिसके लिये विचार नहीं किया गया है।

श्री भवानी सहायः—क्या पंचवर्षीय योजना में केवल मेटल्ड रोड को लिया गया है या ग्रेवल रोड को भी लिया गया है ?

माननीय श्री भोलानाथः—मेटल्ड रोड को लिया गया है।

श्री मोतीरामः—सरकार जहां पर सड़कें हैं वहां तो और बनाती है लेकिन जिस डिविजन में सड़कें नहीं हैं और जहां पर रेल भी मुश्किल से जाती है वहां पर सड़कें क्यों नहीं बनाती ?

माननीय श्री भोलानाथः—शासन की दृष्टि से जहां सड़कों की अधिक आवश्यकता होती है वहां पहले बनाई जाती हैं।

श्री मोतीराम—क्या एक ही सड़क से जब तीन-चार दृष्टिकोण पूरे होते है तो क्या वहां सड़कें पहले बनानी आवश्यक नहीं हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः—अवश्य हैं।

श्री हंसराजः—क्या भादरा की सड़क बनाने का सरकार का इरादा है?

श्री भोलानाथः—अवश्य है। ७ करोड़ की स्कीम में उसे भी शामिल किया गया है।

श्री हंसराजः—वह स्कीम कब तक पूरी होगी ?

माननीय श्री भोलानाथः—पैसे होने पर कार्यवाही पूरी होगी।

प्रश्न संख्या ६३

श्री भवानी सहायः—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलवर स्टेशन के पास मत्स्य राज्य कायम होने पर मंडी बनाने के लिए जनता को प्लाट बेचे गये थे ? मंडी योजना समाप्त होगई और जो रुपया इस मद में सरकार में जमा हुआ था वह वापिस जनता को दे दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं दिया है तो यह भी बताया जाय कि सरकार को इस प्रकार की कितनी रकम जनता को वापिस देने बाकी है ? यदि रकम बाकी है तो यह किन कारणों मे वापिस नहीं लौटा दी गई ।

माननीय श्री भोलानाथः—यह सवाल गलती से मेरे पास भेज दिया गया था लेकिन यह अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से ताल्लुक रखता है। इस प्रश्न से संबन्ध रखने वाले कागजात बहुत समय पहले सेक्रेटरी अरबन इम्प्रूवमेन्ट को भेज दिये गये थे।

प्रश्न संख्या ६४

श्री सज्जनसिंह:—क्या माननीय निर्माण मंत्री महोदय को यह विदित है कि बूंदी शहर की जनता को पीने के पानी का बड़ा संकट है जिसके लिये राजस्थान सरकार का कई दफा ध्यान आकर्षित किया जा चुका है तथा उसके लिये कई आश्वासन भी दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है और इस बजट में भी कुछ रकम रखी गई है या नहीं ?

माननीय श्री भोलानाथ:—बूंदी शहर में वाटर सप्लाई के लिये जो काम चलाऊ स्कीम बनाई गई थी उसके लिये ९० हजार रुपये मंजूर किये गये थे जो पी. डब्ल्यू. डी. सेक्रेटरी की पत्र संख्या F. 1 (344) P.W./50 dated 4-12-52. के अनुसार है; उसीके आधार पर वहां प्लान्ट और कुछ सामान आदि भेजा गया था। लेकिन वहां की म्युनिसिपेलिटी ने यह रिप्रेजेन्टेशन किया कि जब तक पूरी स्कीम काम में नहीं लाई जाती तब तक कोई काम शुरू नहीं होना चाहिये इसलिये बूंदी के लिये जब पूरी स्कीम मंजूर की जायगी तब काम शुरू किया जायगा। इस साल बजट में इसके लिये कोई गुंजायश नहीं है।

श्री मोतीलाल:—नयी स्कीम में कितना रुपया खर्च होगा।

माननीय श्री भोलानाथ:—इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री कपिलदेव:—सारे राजस्थान में बड़े बड़े शहरों और गांवों में पानी की कमी है और जनता परेशान है। क्या यह बात सरकार को मालूम है?

माननीय श्री भोलानाथ:—अवश्य मालूम है। लेकिन पैसे की कमी का प्रश्न सामने है।

श्री कपिलदेव:—जयपर में सार्वजनिक नलों पर मीटर लग गय हैं क्या इससे लोगों से पैसा चार्ज किया जायगा?

माननीय श्री भोलानाथ:—गवर्नमेन्ट का यह कदम अच्छा है क्योंकि आजकल पानी की कमी है और लोग बेहिसाब पानी खर्च करते हैं और सदुपयोग नहीं होता। इसलिये इन मीटरों के लग जाने से लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सिविल लाइन्स में पानी का सदुपयोग होता है और शहर में पानी दिये जाने से दुरुपयोग होता है ?

माननीय श्री भोलानाथ:—यह गलत बात है। पानी की कठिनाई के समय सब स्थानों में एकसी बात रहती है।

श्री मोतीराम:—क्या सरकार और अन्य मंत्रियों का भी ध्यान वाटर वर्क्स के लिये रखती है?

माननीय श्री भोलानाथ:—वाटर वर्क्स के लिये बड़ी स्कीम है। माननीय सदस्य यदि इसका नोटिस देते तो पूरी सूचना पेश कर देता।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—क्या सिविल लाइन्स में पानी का सदुपयोग खस की टट्टियें छिड़कने और लॉन्स (दूब) छिड़कने में होता है और शहर में पीने का पानी देने में दुरुपयोग होता है?

माननीय श्री भोलानाथ:—यह गलत बात है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—यह निश्चित बात है।

माननीय श्री भोलानाथ:—हरेक कोठी में कूए हैं जिनस पानी लान्स आदि के लिये लिया जाता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में पानी २ घंटों से ज्यादा चालू नहीं रहता जबकि सिविल लाइन्स में २४ घंटों तक पानी चालू रहता है।

श्री छोटूसिंह:—इज दि ओनरेबल मेम्बर सप्लाइंग इन्फरमेशन? (क्या माननीय सदस्य सूचना दे रहे ह)

श्री जसवन्तसिंह:—अभी माननीय मंत्री ने फरमाया था कि पैसे की कमी के कारण पानी का संकट-निवारण दुर्लभ है। क्या यह ठीक बात है? पैसा नहीं है तो जनता को राहत देने का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—शहर में पानी की कमी रहती है; इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि बीच बीच में एडीशनल सप्लाई की जाय। पानी की कमी रहने का एक विशेष कारण है। यहां पाइप्स की ले आउट पुरानी है। अब शहर की आबादी बढ़ गई है। पहले आबादी कम थी तब छोटे साइज के नलों से काम होजाता था लेकिन अब बड़े साइज के पाइप्स होने चाहिये उनको रिप्लेस करना तुरन्त संभव नहीं है। सिविल लाइन्स में लॉन्स और टट्टियें के लिये वाटर वर्क्स के नलों से पानी नहीं लिया जाता है बल्कि कोठियों में जो कुए हैं उनसे काम लिया जाता है। ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है कि शहर और सिविल लाइन्स में कोई भेद रखा जाय। सिविल लाइन्स की आबादी कम है। पाइप से जितना पानी आता है उतना थोड़े बंगलों में बंटता है इसलिये वहां पानी ठीक तरह से मिलता है। शहर में ज्यादा कनक्शन्स होने से पानी बंट जाता है और उसका प्रेशर कम होजाता है। पाइप्स को रिप्लेस करने की स्कीम बहुत बड़ी है जिसके लिय काफी पैसे की आवश्यकता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—मैं माननीय मुख्य मंत्री के स्टेटमेन्ट के लिये अभारी हूं लेकिन एक आश्वासन चाहता हूं कि सिविल लाइन्स और शहर में समय का नियंत्रण बराबर करना होगा। इसमें भेद भाव नहीं किया जा सकता।

माननीय श्री भोलानाथ:—सबके लिये बराबर किया जायगा।

श्री चान्दमल मेहता:—किशनगढ़ के लिये ५ लाख रुपये की स्कीम राजस्थान बनने के बाद बनी थी उसका क्या हुआ?

श्री जसवन्तसिंह:—क्या मैं उम्मेद करूं कि मेरे सवाल का जवाब दिया जायगा।

माननीय अध्यक्ष:—यू केन रेज दि डिस्कशन (आप वाद-विवाद प्रारम्भ कर सकते हैं)

श्री जसवन्तसिंह:—आइ एम आस्किग दि ओनरेबल मेम्बर कि वे जवाब देने की कृपा करें।

माननीय श्री भोलानाथ:—एक सवाल का उत्तर खतम भी नहीं होता कि और और प्रश्न पूछ लिये जाते हैं समझ में नहीं आ सकता।

प्रश्न संख्या ६५

श्री कंवरलाल जेलिया:—क्या माननीय सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दने की कृपा करेंगे।

(अ) अब तक चम्बल योजना तथा चम्बल बांध पर कितनी रकम खर्च हुई है और इस खर्च के आधार पर जनता या सरकार को कितना लाभ है?

(आ) क्या सरकार को यह ज्ञान है कि चम्बल योजना व बांध को तैयार करने में उसे सफलता नहीं मिल पाई है? इस सफलता के निमित्त वह आज कोई प्रगतिशील कदम उठा रही है?

(इ) चम्बल योजना में अब तक कितना समय खर्च हुआ है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अब तक इसमें ३३ लाख रुपये खर्च हुए हैं; खर्च की जांच हो रही है; एस्टीमेटस और प्लान्स बन रहे हैं। आवश्यक इमारतें बनाई जा रही हैं और आवागमन के साधन जुटाये जा रहे हैं। बंध और नहरों के बनाने से पहले इन चीजों की जांच करना आवश्यक होता है। इसके बाद फिर जब यह बन जायगा तो इससे जनता और सरकार को लाभ होगा ही।

इस स्कीम को गवर्नमेन्ट ओफ इंडिया से एप्रूव कराने का हर तरह से गवर्नमेन्ट प्रयत्न कर रही है। इस योजना में मध्य भारत और राजस्थान दोनों ही सरकारें इन्ट्रेस्ट ले रही हैं इसलिये एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक सूक्ष्म जांच करना आवश्यक है। यदि माननीय सदस्य का मतलब यह है कि इसमें सफलता की कम गुंजायश होने के कारण इसको पंचवर्षीय योजना में स्थान नहीं मिला है तो इसके लिए यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक अनुसंधान अब प्राय: संपूर्ण हो रहे हैं और अंतिम पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल करने की पूरी संभावना है।

इसका अनुसंधान ७ वर्ष पहले शुरू हुआ था। लेकिन कई कारणों से यह काम पूरा नहीं हो सका।

श्री वेदपाल त्यागी:—कौनसी स्कीम राजस्थान गवर्नमेन्ट पंच वर्षीय योजना में इन्क्लूड करना चहती है?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—कोटा के पास जो बेरेज व इरीगेशन की स्कीम थी उसे स्वीकार किया गया है । उसके ऊपर से अब पमाइश हो रही है। उसके लिए झगड़ा यह होगया है कि मध्यभारत वाले यह चाहते हैं कि उनको सिंचाइ के लिए ज्यादा सुविधा दी जाय और राजस्थान सरकार यह चाहती है कि हमें ज्यादा सुविधा दी जाय। इसके लिए उचित कार्यवाही हो रही है और वह बहुत जल्दी ही पूरी हो जायगी।

राणा प्रताप सागर पर भी काम चल रहा है और दूसरे कोटा बेरेज पर भी काम चल रहा है।

श्री दलीपसिंह:—क्या जनता की विशेष जानकारी के लिए एक विवरण जनता के सामने रखेंगे किसी समय?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—अवश्य और किसी समय रखा जा सकता है।

श्री दलीपसिंह:—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस इन्जीनियर के चार्ज में यह योजना है उसने पहले कभी ऐसी कोई योजना नहीं चलाई है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या :—यह बात तो नहीं है।

श्री दलीपसिंह:—क्या सरकार बतला सकती है कि उसने अपने जीवनकाल में कितनी ऐसी योजनाएं चलाई हैं और कौन २ सी जगह?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इसके लिए नोटिस की जरूरत है । इसके लिए केवल एक इन्जीनियर नहीं है बल्कि एक बोर्ड बनाया गया है।

श्री दलीपसिंह:—५ साल से इस इन्जीनियर ने कोई काम नहीं किया है। क्या सरकार उनके हाथ से काम लेकर चीफ इन्जीनियर इरीगेशन के हाथ में इसे देंगे।

एक माननीय सदस्य:—ऑन दी पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। दिस इज एनॉदर क्वेश्चन (यह दूसरा प्रश्न है)

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मुझे आश्चर्य मेरे माननीय मित्र की इस बात पर हो रहा है कि उन्होंने ५ साल से कोई काम ही नहीं किया है। यह कोई काम नहीं हुआ तो फिर ३३ लाख रुपये जो खर्च हुए हैं वह कहां गये हैं। बहुत सारा काम हुआ है, जितना प्रारम्भिक कार्य होना चाहिए था वह कर दिया गया, और चीफ इन्जीनियर को इस बोर्ड में सम्मिलित कर दिया गया है।

श्री दलीपसिंह:—यह बिल्डिंग व रोड बनाने के काम में हुए हैं। यह काम तो एक ओवरसियर भी कर सकता था। इतने बड़े इन्जीनियर को २-२॥ हजार रुपये माहवार तनख्वाह जो दी जा रही है, वह बेकार है। वह एक पुराने ऑफिसर हैं जिन्हें १५ साल तो रिटायर्ड हुए हो गये ह। इतना बूढ़ा हाथी सरकार के दरवाजे पर बन्धा हुआ है जो सिवाय लीद के कुछ नहीं दे सकता है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—राजस्थान सरकार ने जो खर्चा किया है वह बिल्डिंग और रोड्स बनाने में ही नहीं किया है। उसके लिए तो बड़ी २ योजनाएं तैयार की गई हैं। यह सारी बातें निश्चित की गई हैं कि किस जगह बान्ध बनाना चाहिए, नहरें कितनी निकाली जायं; यह बहुत बड़ी बात है।

श्री देवीसिंह:—यह योजना कितने समय में समाप्त हो जायगी? इसमें कितने रुपये खर्च होंगे, और कितना एरिया इससे इरीगेट (सिंचित) किया जायगा?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—अभी मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं, फिर भी यह बतला सकता हूं कि करीब १७ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी, और यह कुल राजस्थान सरकार की जमीन में हो सकती है; बशर्ते कि यह काम हो।

एक माननीय सदस्य:—ईसलपुर योजना भी इसमें शामिल है क्या?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं इसके लिए आपसे समय चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू):—मध्य भारत से जो बात-चीत हो रही है उसका फैसला कब तक हो जायगा?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–दोनों सरकारों में सिंचाई की जमीन के लिए झगड़ा था, इसलिये वह नहीं हो सका। इसलिये ऐसी योजना बनाई गई है कि कितनी जमीन की सिंचाई मध्यभारत वाले करेंगे। हम लोगों ने कार्यवाही शुरू करदी है और बहुत जल्दी ही काम शुरू हो जायगा। हम आपस में मिलकर यह तय कर लेंगे कि मध्यभारत सरकार को सिंचाई के लिए कितनी जमीन दी जाय और राजस्थान सरकार को कितनी ? लेकिन इस झगड़े में हो सकता है कि हमारे काम के शुरू होने में और पंचवर्षीय योजना में कुछ देरी लग जाय।

श्री हिम्मतसिंह:–यह समस्त योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–जब इसको पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा तो उसके बाद जल्दी ही यह समाप्त हो जायगा। इसे पंचवर्षीय योजना में लेने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि वह इसमें ले लिया जायगा।

श्री रघुराजसिंह:–क्या रियासत के जमाने की रिपोर्टों पर भी सरकार ने विचार किया है ? इस चम्बल स्कीम के बारे में सर विश्वनाथ जो कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के एक बड़े आफिसर थे, की रिपोर्टों पर भी सरकार ने विचार किया है ? कौन सी स्कीम उन्हें उपयुक्त लगी ?

माननीय भोगीलाल पंड्या:–हां, उसको टेकनिकल लेवल पर तय किया गया है। लगभग यह निश्चित हो चुका है कि चम्बल पर जो बान्ध बनाये जाने की जगह थी उसको पसन्द कर लिया गया है और उसको बनाये जाने का निर्णय कर लिया गया है।

श्री रघुराजसिंह:–क्या पहले वाली स्कीमों में उनका ख्याल यह थोड़ा नीचे का था और राजस्थान सरकार ने ऊपर का स्थान चुना? तो क्या पहले वह केवल कोटा स्टेट को ही फायदा होने के विचार से रखा था और अब राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान के फायदे के लिए यह किया है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–शुरू में कोटे का ही ध्यान रखा गया था और अब पूरे राजस्थान का ध्यान रखा गया है।

श्री कँवरलाल जेलिया:–जिन इन्जीनियर के संबन्ध में इतनी शिकायतें हैं फिर भी उन्हीं इन्जीनियर के हाथ में यह काम सौंपा गया है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि वे केवल एक अकेले ही नहीं हैं। इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है। इसमें चीफ इन्जीनियर भी हैं और यही नहीं मध्यभारत के भी इसमें हैं। केवल एक व्यक्ति ही इस काम को नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न नं० ६६

श्री माधोसिंह:--Will the Hon'ble Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) On what basis they have decided that construction of the roads per mile is twenty thousand?

(b) How many new roads have been constructed in last year and what did it cost?

माननीय श्री भोलानाथ:—पक्की सड़क बनाने में सिर्फ २० हजार रुपये का खर्च एक मील पर आता है। यह औसत, जो अब तक काम किया गया है उसके आधार पर ही नहीं लगायी गयी है लेकिन और भी जगह यही औसत है। इसमें सामान मिलने की कठिनाइयां, पानी की कमी, लेबर की दुविधाएं है।

(ब) अब तक ९० मील की पक्की सड़क बनाई गई है और ३० मील की लेवल रोड्स। यह सन् १९५१-५२ का लेखा है। और बाकी के डिटेल्स इस सम्बन्ध में इकट्ठे किये जा रहे हैं।

श्री किशनलाल शाह:—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि पी. डब्ल्यू. डी. को महकमा रिश्वतखोरी का जो विशेषण दिया गया है इस २० हजार की रकम में उस विशेषण का रोग तो नहीं है।

माननीय श्री भोलानाथ:—मैंने बताया है कि वह केवल खर्च आया है। वह केवल राजस्थान सरकार में ही नहीं है, बल्कि और जगह भी ह और उसी आधार पर यह है। उसमें अधिक बात नहीं रह जाती ह। २० हजार से कम नहीं होता है और शेखावाटी में ४५ हजार तक खर्चा हो जाता ह। जहां तक यह शब्दावली इस्तेमाल की गई है यह एक फालतू बात है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि उसका नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग ह और वह सार्वजनिक निर्माण का कार्य करता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट जो है वह एक पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट है?

माननीय श्री भोलानाथ:—यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट होता तो माननीय सदस्य आज इस टाउन हॉल में बैठे नहीं होते।

श्री माधोसिंह:—मेरे प्रश्न के 'बी' भाग का उत्तर नहीं मिला है।

माननीय श्री भोलानाथ:—इसके लिए सब डिविजनों से फीगर इकट्ठे किये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६७.

श्री माधोसिंह:--Will the Hon'ble Minister for P. W. D. be pleased to state why the road connecting Jalore to Sanchore has not been completed yet as it has been long started about one year back and left incomplete ?

माननीय श्री भोलानाथ--The Superintending Engineer B. and R. Jodhpur is being asked to report about the actual position and reply will be sent on receipt.

श्री माधोसिंह:--कब तक कम्पलीट करदी जायगी ?

माननीय श्री भोलानाथ:--बहुत जल्दी ही कम्पलीट करदी जायगी।

प्रश्न संख्या ६८.

श्री माधोसिंह:--Will the Hon'ble minister be pleased to state how many private owned Power Houses have been taken over by the Government in last one year and how many of them are running at loss ? Why have they been taken over ?

माननीय श्री भोलानाथ:--अब तक पिछले साल किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़ के पॉवर हाउस को सरकार ने अपने अधिकार में लिया ह और तीनों ही नुकसान में चल रहे हैं ।

किशनगढ़ में २६ हजार रुपये का नुकसान है, शाहपुरा में १७ हजार रुपये का और क्योंकि प्रतापगढ़ का पॉवर हाउस अभी पूरी तौर से अधिकार में नहीं लिया गया है अतः आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। ये पावर हाउस बद--इन्तजामी के कारण सरकार ने अपने हाथ में लिये ह। जो सहुलियतें अब तक जनता को मिल रही थीं सरकार नहीं चाहती है कि उसको बन्द किया जाय।

श्री रोशनलाल:--उदयपुर पॉवर हाउस के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

माननीय श्री भोलानाथ:--यह सवाल अब तक तो सरकार के ध्यान में नहीं आया।

श्री रोशनलाल:--क्या सरकार के पास उदयपुर पॉवर हाउस के बारे में कोई शिकायतें आई हैं ?

माननीय श्री भोलानाथ:--अवश्य आई हैं।

श्री कपिलदेव:--प्राइवेट पॉवर हाउसों की बद--इन्तजामी के कारण सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं तो जो बद--इन्तजामी सरकारी पॉवर हाउसों में हैं तो वे किनको दिये जायेंगे?

माननीय श्री भोलानाथ:--मैं नहीं समझता कि वे किनको देना चाहते हैं ?

श्री भीमसिंह:–जो पॉवर हाउस लोस में रन कर रहे हैं उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

माननीय श्री भोलानाथ:–अवश्य वहां की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही ह।

श्री चन्दनमल:–जयपुर और बीकानेर के पॉवर हाउस क्या घाटे में चल रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री भोलानाथ:–यह बड़ा प्रश्न है; फिर भी मैं इतना बता सकता हूं कि जयपुर पॉवर हाउस मुनाफे में रन कर रहा है; इसमें ५ लाख से ज्यादा की आमदनी की बचत है। बीकानेर पॉवर हाउस में इस समय १ लाख ४२ हजार रुपये का घाटा है; उसकी स्थिति पिछले दिनों से काफी ठीक है। सन् ५१-५२ और ५०-५१ में बीकानेर पॉवर हाउस को १२ लाख रुपयों का घाटा था। बीकानेर पॉवर हाउस का खर्चा २४ लाख था और आमदनी सिर्फ ११ लाख रुपये थी। १२ लाख का जो नुकसान था वह कम होते होते अब सिर्फ १ लाख ४४ हजार रुपये रह गया है। अब वहां की स्थिति सन्तोषजनक है।

श्री खेतसिंह:–जयपुर पॉवर हाउस के जो नौकर हैं उनके ग्रेड्स और सीनियोरिटी आदि के बारे में क्या गवर्नमेन्ट विचार कर रही है ?

माननीय श्री भोलानाथ:–अवश्य जल्दी से जल्दी तय कर लिया जाएगा।

श्री चन्दनमल:–क्या माननीय मंत्री महोदय के यह ध्यान में बाते है कि बीकानेर पॉवर हाउस से सात-सात दिन तक पॉवर नहीं मिलता है ?

माननीय श्री भोलानाथ:–यह कठिनाई टेक्निकल कारणों से हो सकती है।

श्री चन्दनमल:–बिजली की इस कठिनाई के कारण पानी की भी कठिनाई पैदा हो जाती है; उसको दूर करने का सरकार क्या विचार कर रही है ?

माननीय श्री भोलानाथ:–बीकानेर और मारवाड़ में पानी की कठिनाई है। लेकिन फिर भी पानी का सदुपयोग हो इसलिये कोशिश कर रहे हैं। मीटर लगाकर ज्यादा से ज्यादा पानी देने की कोशिश की जा रही है।

श्री चन्दनमल:–मैं इस बात की ओर संकेत कर रहा हूं वि बिजली की कमी के कारण पानी की तकलीफ हो रही है। बीकानेर और चूरू जिले में बिजली के पम्पों से पानी निकाला जाता है। बिजली जब फैल हो जाती है तो पानी बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता।

माननीय श्री भोलानाथः—पिछले साल से इस स्थिति में काफी सन्तोषजनक प्रगति हुई है। माननीय सदस्य किसी प्रकार की कठिनाई की ओर ध्यान दिलायेंगे तो वह कठिनाई अवश्य दूर की जायगी।

श्री चन्दनमलः—पिछले तीन चार रोज से पानी की बड़ी तकलीफ हो रही है; इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय के पास तार भी आये हैं ।

माननीय श्री भोलानाथः—पुरानी पाइप लाइन होने से काट आगया है उसको अब ठीक किया जा रहा है।

श्री भीमसिंहः—जिन तीन पॉवर हाउसों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया ह उनके सिवाय और भी कोई पॉवर हाउस सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री भोलानाथः—पुरानी जो राजधानियां थीं वहां की सरकारों ने जनता को सुविधा देने के लिए इस प्रकार के पॉवर हाउस चला रखे थे । अव सरकार उचित नहीं समझती कि जो सुविधायें पुराने समय में प्राप्त थीं उनको बन्द किया जाय इसलिये घाटा होने पर भी वे पॉवर हाउसों सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं।

एक माननीय सदस्यः—क्या टोंक के बिजलीघर को सरकार अपने हाथ में लेना सोच रही है?

श्री कपिलदेवः—क्या यह सही है कि एक सप्ताह में तीस—चालीस बार बिजली फैल हो जाती है?

माननीय श्री भोलानाथः—आजकल इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—आज और कल यह दो दिनों की व्यवस्था का हाल है।

माननीय श्री भोलानाथः—पिछले कुछ दिनों से यह स्थिति है।

श्री देवीसिंहः—इतना घाटा होने पर भी वहां के लोगों को सन्तोष नहीं।

माननीय श्री भोलानाथः—इसलिये तो सरकार ने अपने हाथ में लिया है। उस असन्तोष को दूर करने की कोशिश की जा रही है।

प्रश्न संख्या ६९

श्री रोशनलाल शर्माः—क्या पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री यह बतावेंगे कि उदयपुर जिले में भोमट में भी भट्टियों द्वारा शराब निकाला जाता है उसे बन्द करने का सरकार विचार कर रही है?

(ख) क्या शराब की जो आमद जागीरदारों को मिलती है सरकार लेने का सोच रही है?

माननीय श्री भोलानाथः—सरकार भोमट इलाके के वापिस अपने अधिकार में ले रही है।

श्री रोशनलालः—कितने समय में ले लेगी?

माननीय श्री भोलानाथः—एक्साइज कानून लागू करते ही, जल्दी से जल्दी।

श्री रोशनलालः—क्या जागीरदारों को शराब निकालने का अधिकार है?

माननीय श्री भोलानाथः—जो अधिकार हैं वे वापिस ले लिये जायेंगे।

श्री कपिलदेवः—जागीरदारों की जो भट्टियां हैं उनसे सरकार को क्या कमीशन मिलता है, यह बतला सकेंगे?

माननीय श्री भोलानाथः—इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रोशनलालः—क्या कुछ हल्कों में जागीरदारों को शराब निकालने की इजाजत है?

माननीय श्री भोलानाथः—उसको खत्म करने की बात चल रही है।

श्री माधोसिंहः—क्या राजस्थान में शराब बन्दी प्रथा लागू की जायगी?

माननीय श्री भोलानाथः—इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी विचार नहीं किया।

श्री माधोसिंहः—क्या सरकार शराब बन्दी आवश्यक नहीं समझती?

माननीय श्री भोलानाथः—अवश्य आवश्यक समझती है।

श्री भीमसिंहः—हम कब तक आशा करें कि इस पर विचार किया जाने वाला है?

माननीय श्री भोलानाथः—विचार किया जा रहा है।

श्री चन्दनमलः—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर डिविजन में जागीरदारों को रियायती दर पर शराब दी जाती है?

माननीय श्री भोलानाथ—कुछ जागीरदारों को पुरानी विधि के अनुसार यह सहूलियतें हैं; उन सब पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री चन्दनमल:–क्या जल्दी ही इस प्रकार रियायतें बन्द करदी जायंगी?

माननीय श्री भोलानाथ:–इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री गोपीलाल यादव:–क्या माननीय मंत्री इसको सहूलियतों की तारीफ में लेते हैं ?

माननीय श्री भोलानाथ:–विशेष सुविधायें जो मिल रही हैं वह सहूलियत से ही मिल रही हैं।

श्री माधोसिंह:–क्या सार्वजनिक नेता भी शराब पीते हैं?

माननीय श्री भोलानाथ:–सार्वजनिक नेता का तो ज्ञान माननीय सदस्य को ही हो सकता है।

स्थगन--प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष:–कल की सदन की बैठक स्थगित होने के बाद में आज तक मेरे पास ३ "काम रोको प्रस्ताव" के नोटिस आये हैं जिनमें दो तो सदन की बैठक शुरू होने से आधा घंटे के अन्दर आये हैं इसलिये अस्वीकृत कर दिए गए और एक काम रोको प्रस्ताव आया है उसको मैं सदन के सामने आज्ञा के लिए प्रस्तुत करता हूं:–

"दिनांक १६–१७ अप्रेल, १९५२ की मध्य रात्रि में उदयपुर--वाटी के झुंझुनू जिले के झांझर ग्राम के कृषकों पर भोमियों द्वारा निर्दयता पूर्वक किए गए गोलीकांड के ऊपर काम रोको का प्रस्ताव पास किया जाय।"

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि वे इस काम रोको प्रस्ताव की स्वीकृति देना चाहेंगे या नहीं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार "काम रोको प्रस्ताव" किसी एक विषय पर जो कि अर्जेंट और पब्लिक इम्पोर्टेन्स का हो, पेश किया जा सकता है। जिस घटना का उल्लेख किया गया है उस घटना को हुए कई दिन हो चुके हैं। यह घटना तारीख १७ के करीब घटित हुई और आज तक इसके लिए कुछ नहीं कहा गया, इसलिये यह माना जा सकता है कि यह अर्जेंट चीज नहीं है। इस तरह की घटनाएं वर्ष के इस समय में जब कि फसल के काटने का मौका आता है प्रायः यहां ही नहीं, देश के हर एक भाग में किसानों में आपस में हुआ करती है। इस प्रकार की घटनाओं पर "काम रोको प्रस्ताव" यदि स्वीकार किया गया तो इसका एक नियमित रूप हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे "काम रोको प्रस्ताव" प्रस्तुत नहीं होने चाहिए।

श्री किशनलाल शाह:–अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो "काम रोको प्रस्ताव" पेश किया गया है, उसके विरोध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक दलील पेश की है कि इस घटना को हुए कितने दिन हो गये, और यह भी मानते हैं कि यह घटना दुर्भाग्य पूर्ण है; परन्तु चूंकि इसको हुए आज ५–७ रोज हो गये हैं और अब तक उसके विषय में कोई बात नहीं की गई इसलिये अब इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा और अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी उनकी इन अभिव्यक्तियों की याद दिलाऊं कि जिस वक्त उन्होंने इस सदन के सामने यह एलान किया था कि इस तरह की घटनायें जो हुआ करती हैं उनमें राजनैतिक हाथ है। जब माननीय मुख्य मंत्री इस बात को महसूस करते हैं, जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसी घटनाओं में एक राजनैतिक हाथ है तो आये दिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसका ५–७ दिन के निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है; बल्कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर इस तरह की दलीलें देकर, उनको टालने की कोशिश करने से स्थिति बद से बदतर होने की सम्भावना रहती है। और हमारी आज जो स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस के नेता को बतलाना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं की तरफ तवज्जुह, नहीं दी गई और सरकार ने सिर्फ अपने को बचाने के लिए, इस तरह की घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश की तो यह चिनगारी एक भयंकर आग का रूप धारण कर लेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है और इसलिये इसके ऊपर सुचारू रूप से डिस्केशन किया जाना चाहिये ताकि सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के उदाहरण जो हों वो सरकार के सामने आ जायं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस में अपनी राय देता हूं कि यह प्रस्ताव मंजूर किया जाना चाहिए और इस घटना पर वाद विवाद किया जावे।

श्री गोपीलाल यादव:–इस सम्बन्ध में हाउस अपनी राय दे सके उससे पहले मैं यह जरूरी समझता हूं। कि कम से कम इस हाउस को मालूम हो कि यह घटना किस प्रकार हुई, लाठी चार्ज किया तो किसने किया, गोली चलाई तो किसने चलाई और उसका क्या कारण था, और कितने लोगों को नुकसान हुआ ? जब तक इन चीजों को हाउस के सामने न रखा जाय हाउस अपनी राय नहीं दे सकेगा कि यह मोशन एडजोर्नमेन्ट के लायक है अथवा नहीं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हाउस के नेता इस पर प्रकाश डालें और उसके बाद सदन की आज्ञा लें। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर यह माननीय सदस्य द्वारा पेश किया जायगा तो वक्त बरबाद होगा क्योंकि हाउस के पास इतना वक्त नहीं ह। अगर सरकार इसको रखे तो इससे साफ हो जायगा कि यह घटना कसे हुई, किन कारणों से हुई। यह सारा वाकिया हाउस के सामने आ जायगा। इसलिये मेरा ख्याल है कि सरकार की तरफ से ही अगर यह कहा जाय तो ठीक होगा।

श्री हसराज आर्य:–इसके लिए हाउस के सभी मेम्बर सहमत होंगे कि १३ आदमी घायल हुए हैं।........

माननीय अध्यक्ष:–ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–I wish to draw attention to Rule No. 42 of the Rules of Procedure in case of adjournment motion. In case it is found in order I would submit that the Speaker will please take the procedure in question.

माननीय अध्यक्ष:–चूंकि इस स्थगन प्रस्ताव के संबन्ध में आपत्ति ले ली गई है इसलिये जो सदन के सदस्य इस पक्ष में हों कि यह स्थगन प्रस्ताव लिया जाव कृपा करके खड़े हो जावें ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–माननीय अध्यक्ष पहले आप इस बात का निर्णय करें कि यह स्थगन प्रस्ताव ओर्डर में हैं या नहीं ।

माननीय अध्यक्ष:–इट इज इन ओर्डर। दी लीव इज ग्रान्टेड (यह यथोचित है; आज्ञा दी जाती है) ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–सर वेन इट विल बी टेकन (श्रीमान यह कब लिया जायगा) ?

माननीय अध्यक्ष:–एट ११ ए. एम. । इट इज, प्रिस्काइब्ड इन दी रूल्स । (११ बजे प्रातः, यह नियमों में निर्धारित है)

Shri Inder Nath Modi:—There is one point I should like to bring to the notice of this House. I don't know, Sir, whether this matter is already subject to investigation at the hands of the authorities of the State. If It is so then I don't think it would be proper to discuss this in the House. Nor do I know whether its machinery has been moved to take law courts in due course. It is a point which will affect many other similar questions which might arise on the floor of the House and therefore, I submit that it would be very proper to thrash out the matter very carefully. I am sorry that I have raised this point but I have done so in view of the fact that we may not have to face any difficulty in future.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस संबन्ध में मुझे सूचना मिली है, पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। मेरे पास इसकी पूरी सूचना तो अभी तक नहीं पहुंची है । संभव हो सकता है कि यह केस आलरेडी (पहले से ही)कोर्ट के सामने पेश किया गया है या किया जाने वाला है। इसलिये में यह ठीक समझता हूं कि जो चीज कोर्ट के सामने आने वाली है उसको यहां पर नहीं लिया जावे ।

श्री जसवंतसिंह:–अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मामले पर बहस करने का प्रश्न है मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । लेकिन जैसा मेरे माननीय मित्र ने बतलाया और

जैसा माननीय मित्र चीफ मिनिस्टर ने फरमाया यह मामला जुडीशियल कोर्ट से संबन्ध रखने वाला मामला है और इसका निर्णय वहीं पर होगा। मैं तो यह कहूंगा कि इस पर जो हाउस में जो बहस होगी उससे यह नतीजा निकलेगा कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर छींटा कशी करेंगे और उसका निर्णय यहां कुछ नहीं निकलेगा। जो इस स्थगन-प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं दूसरा दृष्टिकोण रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा।

माननीय अध्यक्ष:—यह सही है कि कोई भी मामला जो अदालत के विचाराधीन हो सदन उस पर कोई भी बहस करना उचित नहीं समझेगा किन्तु जो नियम-उपनियम हैं उनके अनुसार जो नोटिस स्पीकर और लीडर ओफ दी हाउस को दिया जाता है उसके अनुसार लीडर आफ दी हाउस को इस संबन्ध में कहने का मौका दिया जाता है; वे यह नहीं कह सकते कि या तो यह मामला कोर्ट में दिया गया है या दिया जाने वाला है। उनको सदन के सामने डेफिनेटली यह बताना चाहिये कि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जब तक यह डेफिनिट नहीं बतलाया जाए तब तक यह स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने लिया जावेगा; चूंकि इसकी आज्ञा सदन से मिल चुकी है।

श्री माधोसिंह:—माननीय अध्यक्ष आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पर कुछ बोलूं।

माननीय अध्यक्ष:—नो।

विधायिनी कार्य

राजस्थान सहायक समिति विधेयक, १९५२.

माननीय श्री अमृतलाल यादव:— माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सहायक समिति विधेयक, १९५२ को आज सदन के समक्ष सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का प्रस्ताव करता हूं। सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम ये होंगे मेरे अतिरिक्त:—

१ श्री सोहनलाल ;
२ श्री किशनलाल शाह
३ श्री वेदपाल त्यागी
४ श्री गुरुदयालसिंह
५ श्री दुर्लभसिंह
६ श्री कंवरलाल जेलिया
७ डा० मंगलसिंह
८ श्री मानसिंह
९ श्री अवनिकुमार
१० श्री भवानीसिंह
११ श्री भैरुसिंह ओफ राजसमन्द
१२ श्री गंगासिंह
१३ श्री मोहबतसिंह
१४ श्री रूपनारायण
१५ श्री धर्मपाल
१६ श्री विजेन्द्रपालसिंह

और साथ मैं यह भी प्रस्ताव करता कि इस सिलेक्ट कमेटी का कोरम ५ सदस्यों का हो और इसकी रिपोर्ट अगले सेशन के शुरू होने के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक पहुंच जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष: - Is this motion not out of order as the personnel of the Select Committee is sixteen.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Rule 85 lays down," . . . . provided that a Select Committee shall not, except with the leave of the Assembly, consist of more than fifteen members and in no case of more than twenty-five."

माननीय श्री अमृतलाल यादव: I think we can have even 21.

माननीय अध्यक्ष:—The question is that the Bill to consolidate and amend the law relating to Co-operative Societies in Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of:—

1. Shri Amritlal Yadav.
2. Shri Sohanlal.
3. Shri Vedpal Tyagi.
4. Shri Kishanlal Shah.
5. Shri Durlabh Singh.
6. Shri Kanwarlal
7. Shri Gurudayal Singh.
8. Shri Dr. Mangal Singh.
9. Shri Bhan Singh.
10. Shri Avani Kumar.
11. Shri Bhawani Sahay.
12. Shri Bhairon Singh of Rajsamand.
13. Shri Ganga Singh.
14. Shri Mohabat Singh
15. Shri Roop Narayan.
16. Shri Dharampal.
17. Shri Brijendra Pal Singh.

With the instruction that the report of the Select Committee shall be submitted in the first week of the next session of the Assembly and the number of the members whose personnel should be necessary to constitute the meeting of the Committee shall be five. This Question is also before the House that leave be also given that the Committee will consist of more than 15 members.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

राजस्थान कृषि आयकर विधेयक, १९५२

माननीय श्री भोलानाथः–अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि आयकर विधयक सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसकी नामावली स प्रकार हैः–

१ श्री गलाबचन्द कासलीवाल
२. श्री मथरादास माथुर
३. श्री श्रीदास गोयल
४. श्री रामदयाल उपाध्याय
५. श्री विशम्भरनाथ जोशी
६. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
७. श्री हजारीलाल शर्मा
८. श्री घासीराम यादव
९. श्री रामचन्द्र चौधरी
१० श्री श्रीगोपाल भार्गव
११. श्री दामोदर व्यास
१२. श्री माधोसिंह भैंसवाडा
१३. श्री भरूंसिंह खेजडला
१४. श्री सज्जनसिंह
१५. श्री मदनमोहन
१६. श्री भीमसिंह डतिया
१७. कुंवर जसवन्तसिंह
१८. श्री हरिदत्त
१९. श्री जयेन्द्रसिंह
२०. श्री तेजमल ापना
२१. मैं स्वयं

इसका कोरम ९ होगा और यह समिति अपनी रिपोर्ट २ महिने के अन्दर पेश करेगी।

Hon'ble Speaker:—Motion moved. The question is that the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the State of Rajasthan, be referred to a Select Committee consisting of 21 persons as under:—

1. Shri Gulab Chand Kasliwal
2. Shri Mathura Dass Mathur
3. Shri Shri Das Goyal
4. Shri Ram Dayal Upadhyay
5. Shri Vishwambhar Nath Joshi
6. Shri Hari Shanker Sidhant Shastri
7. Shri Hajari Lal Sharma
8. Shri Gasi Ram Yadav
9. Shri Ramchandra Choodhri
10. Shri Shri Gopal Bhargava
11. Shri Damodar Vyas
12. Shri Madhosingh Bhenswara
13. Shri Bhairon Singh Khejadla
14. Shri Sajjan Singh
15. Shri Madan Mohan
16. Shri Jaswant Singh
17. Shri Bheemsingh Mertia
18. Shri Hari Dutta
19. Shri Jayendra Singh
20. Shri Tejmal Bapna
21. Hon'ble Shri Bhola Nath

The quorum of the Committee will be 9. This committee will submit its report within 2 months. This question is also before the House that leave be also given that the Committee will consist of more than 15 members.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष:—आज की कार्य-सूची के अनुसार जो दो बिल प्रारम्भ में लिये जाने चाहिये थे वे अब तक नहीं लिये गये। इसलिये आगे की कार्यवाही से पहले उन्हें लिया जाता है।

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

Hon'ble Shri Nathuram Mirdha:—Sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Bill to establish and develope Local Self Government in the rural areas of Rajasthan.

Hon'ble Speaker:—Motion moved.

(विराम)

The question is that leave be granted to introduce the Bill to establish and develope Local Self Government in the rural areas of Rajasthan.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Hon'ble Shri Nathuram Mirdha:—I introduce the Bill.

राजस्थान भू-धारण विधेयक, १९५२

Hon'ble Shri Mohan Lal Sukhadia:—Sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Bill to consolidate, amend, unify and declare the Law relating to agricultural tenancies, land tenures and other matters connected therewith.

Hon'ble Speaker: –Motion moved.

एक माननीय सदस्य:–माननीय अध्यक्ष इस बिल की कापियां हमारे पास नहीं आई हैं।

माननीय अध्यक्ष:-Copies are just ready and they will be supplied to Hon'ble members.

Hon'ble Speaker:—The question is that leave be granted to introduce the Bill to consolidate, amend, unify and declare the law relating to agricultural tenancies, land tenures and other matters connected there with.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Hon'ble Shri Mohan Lal Sukhadia:—I introduce the Bill.

(विराम)

Hon'ble Shri Mohan Lal Sukhadia: --I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon.

Hon'ble Speaker:—Motion moved.

श्री कानसिंह:–माननीय अध्यक्ष, मुझे यह अर्ज करना है कि यह जो बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्युलेट किये जाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको बजाय पब्लिक ओपीनियन के सरक्युलेट किये जाने के सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो बहुत कुछ ठीक होगा, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंस का है, और इस पर बहुत कुछ गौर करने की जरूरत है। जहां तक पब्लिक ओपीनियन को मैं समझता हूं ...

माननीय अध्यक्ष:—I think the Hon'ble member is not conversent with the procedure. A Bill is circulated for eliciting opinion and at this stage it is not appropriate for the member to move for reference to the Select Committee. Only when a motion for consideration is moved any member may, as an amendment move that the Bill be referred to a Select Committee.

Hon'ble Speaker:—The question is that the bill be circulated for the purpose of eliciting opinion.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इसको पब्लिक ओपीनीयन के लिए अगले अधिवेशन तक प्रकाशित करने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि रूल्स धारा ८२ के अनुसार उसकी अवधि देनी चाहिए थी। उस धारा की तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I think it would be much better if the Hon'ble Member gives a definite date.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैंने स्पष्ट कहा है कि अगले अधिवेशन के शुरूआत से पहले।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Is that giving date ?

माननीय अध्यक्ष:—Continue date will be specified.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–दो माह की अवधि की स्वीकृति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष:–यह जो २ महीनें की अवधि बतलाई है क्या वह सदन को स्वीकार है?

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

राजस्थान अकाल कार्यवाहियें स्थगित करने का विधेयक, १९५२

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I beg to move that the bill to provide for suspension of certain proceedings in famine affected areas, be taken into consideration.

माननीय अध्यक्ष:—The motion is that the Bill to provide for the suspension of certain proceedings in famine affected areas, be taken into consideration.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—On the point of information Sir, may I know whether it is published in the Gazette?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I think it is published.

श्री इन्द्रनाथ मोदी: —'I think' or you are sure that it has been published. The statement is rather vague. We want to know definitely whether it has been published. Before taking into consideration it is compulsory as far as I know the rules. I may be wrong.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अभी यह गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी: —I would invite the attention of the Hon'ble member to Rule 81 which reads as follows:—

"As soon as may be after a Bill has been introduced the Bill shall be published in the Gazette;

Provided that the Speaker may order the publication of any Bill together with the statement of objects and reasons accompanying it in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case it shall not be necessary to move for leave and if the Bill is afterwards introduced it shall not be necessary to publish it again."

So far as I understand the publication of the Bill in question is imperative.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह बिल गजट में प्रकाशित होना चाहिए था, मगर वह नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता को देखते हुए माननीय सदस्य इस पर विचार करने के लिए स्वीकृति देंगे ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--The proviso clearly states that before consideration it should be published.

माननीय अध्यक्ष:—The proviso is redundent in the present case. If the whole house likes, I can suspend these rules. It is in my power. I would like to know the sense of the House.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--I humbly submit that it may create inconvenience at a latter stage.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:--माननीय अध्यक्ष, मैं प्रार्थना करूंगा कि यह एक ऐसा बिल है जो कि फेमिन से ताल्लुक रखता है; अकाल की स्थिति है। केवल गजट में प्रकाशित नहीं होने के कारण से ही यह नहीं रूक जाना चाहिए। उस पर विचार करने की आज्ञा दी जाय।

माननीय अध्यक्ष--यह बिल प्रस्तुत होने के पश्चात् राजस्थान गजट में प्रकाशित नहीं हुआ। यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रकाशित होने के उपरान्त ही हम इस बिल को विचारार्थ लें किन्तु फिर भी जो एतराज किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए इस विषय में जल्दी नहीं करनी चाहिये। इस कार्य को कल के लिए स्थगित किया जाता है। अब स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू की जाय।

स्थगन प्रस्ताव पर बहस

श्री हरलालसिंह:--माननीय अध्यक्षजी, मैंने सदन के सामने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह है तारीख १६ और १७ की दर्म्यानी रात का। ६०-७० लोगों ने मिलकर एक माली की ढाणी पर हमला किया इस अवसर पर २ की मृत्यु हो चुकी है और १२ पुरुष और १ स्त्री और १ बैल घायल हुए हैं। बैल के जो गोली लगी उसे डाक्टरों ने निकाला।

जो १२ पुरुष घायल हुए हैं उनमें से ५ के सख्त चोटें आई है। बताया जाता है कि उन आदमियों में एक माली को जो कि उस जमीन पर आबाद है, बेदखल करने के इरादे से और सम्पत्ति तथा घरबार और उसका इकट्ठा किया हुआ गल्ला लूट लेने के इरादे से यह हमला किया गया। यह हमला इस तरह का है। रात के समय बहुत ज्यादा तादाद में हमला होता है, घरबार को तोड़ा जाता है और गल्ले को लूटा जाता है। ऐसी घटना आज ही घटित हुई हो, सो बात नहीं है। लेकिन पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला जिससे कि सदन के सामने उनके ऐसे कारनामों पर प्रकाश डाला जा सकता। आजकल इस तरह की हवा चल पड़ी है कि जो काश्तकार हैं, जिनके पास जमीन हैं, उस जमीन को किसी तरह से छीन कर झपट लें। ऐसी ही घटना और घटित हुई जिसमें जबरन एक काश्तकार की जमीन पर कब्जा किया गया है। इस तरह की घटनाएं....

माननीय अध्यक्ष:--आप इसके बारे में ही बोलेंगे।

श्री हरलालसिंह:--यह इससे ही सम्बन्ध रखता है। तो अध्यक्षजी, यह मामला बहुत संजीदा है, मेरे ख्याल से इसीलिए सदन के सामने यह काम रोको प्रस्ताव पेश करने की मैंने हिम्मत की। तो मैं समझता हूं कि यहां इस तरह के उत्पात अगर रोके नहीं जायेंगे तो राजस्थान में, मैं नहीं कह सकता, कि, किस तरह की स्थिति पैदा हो जाय। जिन मामलातों की रिपोर्ट होती हैं पुलिस उनका ध्यान नहीं देती। इस कारण से ही और जिला मजिस्ट्रेट के या एस.डी.ओ. को जो रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन ठीक वक्त पर कार्यवाही नहीं होने से इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। मैं आपको बतलाऊं कि इस घटना के कुछ देर बाद किराणा में एक काश्तकार के घर पर पहुंचे और उसके घर को फोड़ा और जो कुछ मालमत्ता निकाल सके, निकाला। उसी समय काश्तकार के कुटुम्ब में से एक दो आदमी पहुंचे। उनमें से दो--तीन को पुलिस ने पकड़ा। माल निकालने वाले भोमिये थे। उन्हें किराणा की पलिस के सुपुर्द करने के बाद भी पुलिस ने

उनको छोड़ दिया और इस प्रकार कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर यह अन्धेरगर्दी, बदइन्तजामी और इस तरह की कार्यवाहियां कब तक चलती रहेंगी और क्या यह प्रान्त के लिए शोभाप्रद कार्य है ? क्या यह प्रान्त के लिए कोई बुरी स्थिति पैदा कर देने वाली बात नहीं है ? सदन में बैठे हुए प्रान्त के जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने इन घटनाओं पर प्रकाश इसलिये डाला है जिससे वे वास्तविक स्थिति को समझ सकें। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि आप मेरे प्रस्ताव को मंजूर करेंगे और इसमें जो जरूरी कार्यवाही हो, किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता हो तो मेरा ख्याल है कि कोई कमेटी या प्राइवेट आदमियों को भेजकर इसकी जांच करायेंगे। फिर उसकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाय ताकि यह भ्रम पैदा न हो कि इसमें कोई ऐसी बात पेश करदी जो सत्यता से परे हो। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है और मैं समझता हूं कि यह मंजूर होगा।

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्षजी, मेरे माननीय मित्र श्री हरलालसिंहजी ने एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव (स्थगन प्रस्ताव प्रस्तावित) करते हुए जो व्याख्यान दिया उसे हम भी समझते हैं और हमें भी खुशी है कि ऐसी जो तजबीजें पेश की जाय जिससे ऐसे वाकिया आइन्दा न हों। सरकार की तरफ से इसकी इन्क्वायरी की जानी चाहिए। हमें भी दुख है कि अपने प्रान्त में ऐसे २ वाकयात हो जाते हैं। यह अपने प्रान्त के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जो इस देश का भला चाहने वाले हैं, हर व्यक्ति का यह निर्देश है और होना चाहिए कि ऐसी कोई घटना प्रान्त में न हो जिसमें किसी वर्ग या किसी व्यक्ति या किसी समाज को कोई हानि पहुंचे : क्योंकि इस हानि से अपने प्रान्त को भी हानि पहुंचती है। यह घटना जिसके प्रति श्री हरलालसिंहजी ने अभी जिक्र किया उनको मिली हुई इत्तला पर आश्रित है। उस इत्तला के आधार पर ही उन्होंने यह सब कुछ कहा। जैसी इत्तला हमें इस पक्ष की तरफ से मिली वह भी मैं निवेदन कर देता हूं। मगर सही स्थिति की जानकारी तो सरकार के पास हो सकती है और जैसा मैं समझता हूं शायद स्थिति की सारी खबर सरकार के पास आगई होगी। यदि नहीं आई होगी तो कुछ ही समय में आ जायगी। इस विषय में जिसका दोष है, चाहे वह किसान हो, भोमिया हो, अथवा अन्य कोई हो, उसे अपनी कचहरी से या लॉ कोर्ट्स से अधिक से अधिक दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि ऐसा करने वाला महा-अपराधी है।

मगर जहां तक हम लोगों को इत्तला मिली है उसमें इस विषय की बात पर यह कहा गया है कि किराणा गांव में कुछ किसान थे और वहां उदयपुरवाटी में भोमिये भी काफी तादाद में रहते हैं, और इस समय बंटाई का समय है। परम्परा के मुताबिक रखवाली के लिए कुछ भोमिये रात को उन खेतों के अन्दर, इस बात को देखने के लिए कि कहीं रातों-रात धान उठाकर किसान न ले जायं, रखवाली के लिए अपने रस्मो रिवाज के मुआफिक, बैठे थे। अकस्मात किसानों ने स्वतः या किसी के कहने सुनने से ऐसा विचार किया कि उस धान

को कीसी तरह रातों-रात उठा लावें; ताकि भोमियों को बांटा नहीं दिया जाय । इसी कारण जब वे रात को करीब ४ बजे उस धान को जबरदस्ती ले जा रहे थे तो उनका मुकाबला हुआ और मुकाबले में भोमियों की तरफ के ८ आदमी घायल हुए और एक बूढ़े आदमी का हाथ कट गया । एक और आदमी की अंगुलियां कट गईं, एक औरत की हालत शोचनीय है । यह घटना वास्तव में विचारणीय है। दूसरी ओर, हमारी इत्तला के अनुसार, सिर्फ ५ आदमी ही घायल हुए हैं और वे ५ भी इतने सख्त घायल नहीं हुए, जितने कि भोमिये हुए हैं। मगर फिर भी यह मामला ऐसा है जिसकी जांच सरकार द्वारा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। मैं भी सरकार को हमारी ओर से अर्ज करता हूं कि वह एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाकर इसकी जांच कराये और बाद में कायदे के माफिक कोर्ट में यह मामला पेश किया जाय, और जो दोषी हों उनको दंड दिया जाय। दोषी को जितना भी ज्यादा दंड दिया जायगा हमें उतना ही खुशी होगी। मैं तो इतना ही कहता हूं कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जिस किसी का दोष हो, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अवश्य दंड दिया जाय।

श्री बलवीर:-माननीय अध्यक्ष, जैसा हमारें सामने हमारे माननीय सदस्य ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान में आये दिन, होने वाले, जागीरदार और उनके द्वारा छोड़े गये लोगों द्वारा डकैतियें और मारकाटें होती हैं उसके फलस्वरूप यह प्रस्ताव आज सदन के सामने आया है । इस प्रकार की वारदातें मैं समझता हूं कि कम से कम राजस्थान और दुनिया की दूसरी कोई भी सरकार, जो पब्लिक की सरकार कहलाने वाली है, बर्दाश्त नहीं करेगी । आज हाउस में किसानों की तरफ से यह आवाज है कि जगह जगह जागीरदारों के छोड़े गए लोग किसानों को बरबाद कर रहे हैं और यदि सरकार ने इस प्रकार की हरकतों को जल्दी ही बन्द नहीं किया और कोई कड़ा कदम नहीं उठाया और इसी प्रकार मारपीट, चोरियें और डकैतियें होती रहीं तो उन लोगों का हौंसला बढ़ जावेगा और वे यह सोचने लग जायेंगे कि जब हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, डकैतियें और चोरियें करना क्यों छोड़ें। इस प्रकार डकैतियें और चोरियें ज्यादा बढ़ जायेंगी । जागीरदार तरह तरह से डकैतियें और चोरियें करने वालों को मदद देते हैं। यदि राजस्थान सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया और कोई रूकावट नहीं डाली तो मैं समझता हूं कि किसान कौम बरबाद हो जावेगी। आज हम देखते हैं कि जोधपुर और सीकर में किसानों को राहत नहीं मिल रही है। किसानों की ढाणियों पर रात में जगीरदारों के हमले होते हैं। आज से ही नहीं बल्कि ये हमले दो साल से होते आ रहे हैं। वे हमले सामूहिक रूप से हो रहे हैं। यदि यही हालत रही तो मैं यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान में बड़ा भारी असंतोष फैल जाएगा। इस लिये उनको चेक करना बहुत जरूरी है। अतः माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार कार्य करने वाले जागीरदारों को उचित सजा दी जावे।

श्री किशनलाल शाह:-- माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार की घटना क घटने पर सदन के सामने जो प्रस्ताव आया है उस पर हुई बहस को सुनने से सदन के सामने दो बातें आई हैं। एक मोशन सदन के सामने प्रस्तावक महोदय ने रखा है और दूसरा मोशन विरोधी दल के नेता महोदय ने रखा है। जहां तक मैंने दोनों को सुना है उन्हें सुनने के बाद मैं इस आशय पर पहुंचा हूं कि दोनों पार्टी के आदमी घटना--स्थल पर बैठे हुए थे। अब सवाल यह आता है कि दोनों पार्टी में से किस पार्टी ने पहले आक्रमण किया और किसने बचाव किया। इस बात का निर्णय मैं नहीं दूंगा। मेरी अर्ज है कि सदन के सदस्य भी यह नहीं चाहेंगे कि सदन इसका निर्णय दे। इसका निर्णय न्यायालय ही देगा और सरकार ही उसकी जांच करेगी। सरकार का जो फैसला इस सम्बन्ध में होगा वह हाउस के सामने आवेगा। परन्तु इतना तो निश्चय ही है और मुझे भी यकीन है कि आज कल के वातावरण को देखते हुए मुझे कोई शक नहीं कि इस घटना का कोई कारण अवश्य है। जैसाकि अभी सदन के एक सदस्य ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला था, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उनके कथन में सच्चाई हो सकती है और मैं भी उनके कथन की पुष्टि करता हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि आया ऐसे मामलों पर एक भी ऐसा सुझाव आया है जिसके आधार पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति सरकार रोके। इसको रोकने के लिये सरकार को भी जागरूक रहना चाहिये। एक सुझाव में सिर्फ यह कहा गया है कि इस घटना की जानकारी के लिये एक कमेटी बनाई जावे जो इस सम्बन्ध में अपनी जांच करके रिपोर्ट पेश करे। माननीय अध्यक्ष, मैं इस घटना के विषय में कुछ नहीं कहता हुआ और इसके निर्णय पर भी अपना कोई मत नहीं देता हुआ, आपके द्वारा विशेषत: इस सदन के नेता से यह नम्र निवेदन करूंगा कि वे इसके पीछे जो कारण हैं उनको खोज निकालें और इसके कारणों को खोज निकालने के बाद इन कारणों को हमेशा के लिये दफनाने के लिये तत्कालीन कोशिश करें। इस तरह की बात से मैं सहमत हूं कि राजस्थान की जनता जो अधिकतर गांवों और खेतों में बसती है और जहां मिलिट्री और पुलिस का अलग अलग प्रबन्ध उनके लिये नहीं किया जा सकता है उनको इस प्रकार की मुसीबत से बचाया जाए सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि पुलिस के पास साधन, सवारी और हथियार की कमी है। इस सदन के सामने माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी कहा था कि इस प्रकार के अत्याचारों की रोक थाम के लिये साधनों की कमी है। मैं कहूंगा कि इस प्रकार के अत्याचारों की खोज करने के लिये यहां पर सी.आई.डी. भी हैं मगर वह कुशल नहीं।

इन सब बातों के होते हुए मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी जितनी भी जनहित के कार्यों के लिये दूसरी योजनाएं हैं उनको थोड़े समय तक के लिये रोक दें और इस तरफ सख्त से सख्त और मजबूत से मजबूत कदम उठा कर रोजाना होने वाली डकैतियों और मरडर्स (हत्याओं) से जनता को बचावें। इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार को चाहिये कि वह जुल्म

करने वाले प्रान्त को कितने भी बड़े व्यक्ति को चाहे उसके पास कितने ही सबल साधन क्यों न हों बिना पक्षपात के ईमानदारी से न्याय करें और उसे सजा दें।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष में यह भी निवेदन करूंगा कि जिन हथियारों के कारण यह घटनाएं होती हैं उन वेपन्स (हथियार) पर सरकार या तो प्रतिबन्ध लगा दे या पब्लिक को भी अपनी रक्षा के लिये आर्म्स (हथियार) दे । मैं समझता हूं कि इस का अंतिम इलाज यही होगा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं उनको निःशस्त्र किये जावें और जो जागीर उन्मूलन एक्ट पास हुआ है उसके मातहत इस विषय पर भी कार्यवाही की जावे।

इसके अलावा हमारे नेता ने यह कहा कि ऐसी घटनाएं तो साधारणतः घटती ही रहती है। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि किसी भी मनुष्य का जीवन प्रदेश और देश के लिये कितना महत्वपूर्ण और कीमती होता है? किसी व्यक्ति की किसी जाति विशेष के लिये भले ही कीमत न हो मगर उसके जीवन की देश और प्रान्त के लिये तो कीमत है। उसी सिद्धान्त के अनुसार उसके जीवन का मूल्य आंका जाना चाहिए। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन को साधारण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए । हमारे नेता ने कहा कि ऐसी घटनाएं तो रोजमर्रा होती हैं। मैं कहूंगा कि एक आदमी किसी को मार सकता है; उसके लिये क्या भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? हमें इसी दृष्टिकोण स देखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय से एक बार फिर अपील करूंगा कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसी को इस सम्बन्ध में कहने का अवसर न मिले।

श्री हंसराज आर्य:-अभी हाउस के सामने जो "काम रोको प्रस्ताव" सरदार हरलालसिंह ने प्रस्तुत किया है उसके विषय में कुछ ऐसी ही दलीलें दी गई हैं जैसी कि कल के प्रस्ताव के समय दी गई थी कि ऐसी छोटी मोटी घटनायें हैं जिनसे आम पब्लिक या सारे प्रान्त पर असर नहीं पड़ता और ये घटनायें तो अक्सर होती ही रहती हैं। ठीक है, कतल होते ही हैं डाके पड़ते ही हैं। मैं अर्ज करूंगा कि हमारे गंगानगर जिले में महीने म तीसों कत्ल होते हैं लेकिन हम कभी उन बातों का जिक्र नहीं करते क्योंकि वह कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आज हमारे समक्ष जो प्रस्ताव आया है वह बहुत ही महत्व को लिये हुए है और यह जो घटनायें हैं उनके पीछे एक स्वार्थ भरी योजना है, एक षड़यंत्र है। हाउस के माननीय नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये बहुत रहस्यमयी घटनाएं हैं। यह जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में आप यह न समझें कि क्योंकि यह एक जगह की छोटीसी घटना है इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कल के प्रस्ताव में इससे भी बढ़कर बात थी। डाके पड़ते हैं, चोरीयां होती हैं और हुआ करती हैं। लेकिन डाकों और चोरियों के साथ जो विशेष घटना घटित हुई हैं उन्हें देखने से यह बात सच मालूम होती ह कि यह एक सामूहिक योजना है। विपक्ष के नेपा ने दलील दी कि कुछ भोमीय या जागीरदार अपनी बंटाई की रखवाली के लिये वहां पंहुचे। क्या आवश्यकता थी रखवाली के

लिये; ६०–७० आदमियों के हथियारों से लेश होकर जाने की ? एक आदमी जाता या दो आदमी जाते तो रखवाली हो सकती थी। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि ६०–७० आदमी रात को २ बजे हथियार लेकर बांटे के अनाज की रखवाली के लिये वहां पंहुचे। उन्होंने वहां पर १३ आदमियों को घायल किया। जिस समय लॉरियों में ये घायल आदमी होस्पिटल में पहुंचे उस समय में होस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा था। कइयों के गोलिय लगी थीं और कुछ के सिर तलवारों और फरसों से तोड़े गये थे। यह ऐसी घटना नहीं है जो महज बटाई के संबंध में हुई कही जा सके और इसका असर आम पब्लिक पर किस प्रकार पड़ता है, यह ध्यान देने की चीज है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में; शहरों में व गाड़ियों में यह आम चर्चा है कि यहां पर सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं; यही लोग महसूस कर रहे हैं। सवाल यह आता है कि पुलिस को बढाया जाय या क्या किया जाय। मैं कहूंगा कि पुलिस को बढाने का सवाल नहीं है। सवाल है कदम उठाने का। चोरी गरीब आदमी नहीं कर सकते। यदि कर भी लें तो माल छिपाने का स्थान उनके पास नहीं होता और जमीन में गड़ा भी रह नहीं सकता। गरीबों को हथियार मिल नहीं सकते, गरीबों को साधन नहीं मिल सकते कि जिससे वे चोरी और डाके डालें। गरीब आदमी डकैतियों म पनप नहीं सकता। डाकू लोग गांवों में जाते हैं, वहां पर निवास करते हैं, भोजन करते हैं। डाकू लोग जंगलों में कहां रहते हैं और जिन जंगलों में उनका भोजन पकता है वे सब गांवों में रहते हैं और चोरी डकैती का मला गांवों में ही रखते हैं। इस सबके पीछे एक बड़ी गूढ रहस्यमय चीज है। मैं अर्ज करूंगा कि यह प्रस्ताव बड़े महत्व का है। यह एक जगह का न होकर सारे राजस्थान से ताल्लुक रखता है। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि इसे पास किया जाय।

श्री तेजमल बापना:--अध्यक्ष महोदय, जो एडजोर्नमेन्ट मोशन हाउस के सामने लाया गया है वह एक बहुत महत्व का प्रश्न है। आज २४-२५ दिन इस एसेम्बली को चलते हुए हो गए हैं और इस बीच में इस प्रकार की अवयवस्था के संबंध में कई बार निवेदन किया गया है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया ह कि इस प्रकर की जो रात दिन घटनायें घटती जा रही हैं उन पर सरकार चुप नहीं बठी ह। क्या मतलब है कि हर समय इस प्रकार की घटनायें चलती रहेगी। अभी तो एसेम्बली की बैठक चल रही है और हमें ऐसी बातें सदन क सामन रखन का मौका है। कल एसेम्बली खतम हो रही है तब क्या हमें मौका मिलेगा कि इस प्रकार की आये दिन की घटनायें सदन के सामने ला सकें। हमारे जो सदन के नेता हैं उन्होने हमें आश्वासन दिया है कि समय समय पर की ऐसी चीजों को रोकने का प्रयत्न किया जायगा। लेकिन कल भी जब एक मोशन पेश किया गया तो उसे एक साधारण घटना बतलाई गई। आज भी ऐसा ही कहा गया। हम मानने को तयार हैं कि हमारे सदन के नेता के दिल पर इस बात का रोष है और इस दुख के निवारण की चाह है। वे इसे रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं; यह भी हमें विश्वास है। लेकिन कौनसी रूकावट पैदा हो गई, कौनसा ऐसा तत्व है शासन में जो कामयाब होने में रोड़े अटकाता है। हमारे विपक्षी दल के नेता

ने भी इसका समर्थन किया है। यह खुशी की बात है उन्होंने अपने पहले के भाषणों में भी जागीरदारों की तरफ से एक आश्वासन दिलाया था क्योंकि वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं कि ऐसे वाक्यात नहीं हुआ करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह:—इन्टरप्शन

श्री तेजमल बापना:—अध्यक्ष महोदय, में कह तो नहीं सकता कि राजस्थान के सभी जागीरदार ऐसी शिकायत करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं बताने की कोशिश करूंगा और यदि मौका दिया जाय तो सबूत करने की कोशिश करूंगा कि आज बहुत से जागीरदार ऐसी शिकायत करते हैं कि ला एंड ओर्डर की प्रोब्लम सोल्व (समस्या सुलझ गई) नहीं हो सकता है और वे सरकार के रोजमर्रा के काम में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। उनके पास साधन हैं शस्त्र हैं यही नहीं बल्कि उनके पास हर प्रकार के साधन है जिससे आये, दिन की घटनायें रोकी जा सकती हैं। जो घटना प्रस्तुत की जा रही है और जिनका समर्थन किया जारहा है अथवा यह कहा जारहा है कि वे भोमिया लोग अपने बांटे की रखवाली के लिये शस्त्र लेकर वहां पहुंचे थे तो उनके इस प्रकार ला एंड ओर्डर को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इंडियन पीनल कोड में ऐसा प्रोविजन है कि जो लोग बांटे का अनाज लटाई के पहले ले जाते हैं उनके खिलाफ लीगल कार्यवाही हो सकती है और उनको सजा मिलती है इसलिये इसमें शक करने की गुंजायश नहीं है कि यह एक षड्यंत्र है; इसी प्रकार आज किसानों पर अत्याचार किये जारहे हैं और उन्हें बेदखल किया जा रहा है।

इसके विषय में मैं बताऊं कि यह तो एक किस्सा है। हर जिले में दिन दहाड़े ऐसे किस्से हो रहे हैं। अभी अभी एक जिले में सरे आम किसानों को कत्ल किया गया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे केसेज को भी, ऐसे तत्व मौजूद हैं आज सर्विसेज में, जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के बहुत से अधिकारी ऐसे तत्वों से मिले हुए हैं। ऐसे जो आतंककारी हैं उनसे मेल रखते हैं इसलिए वे जान माल की रक्षा में न सफल हुए हैं और न सफल बनना चाहते हैं। तो मैं सदन के नेता से, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दर असल आज जो हमारा एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट है उसको एक विशेष अधिकारी के अधिकार में दिया जाय और उसको यह कहा जाय कि जिस किसी हल्के में और जिस किसी भाग में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनका पता लगाया जाएं जिससे जो ऐसे तत्व हैं उनकी ओर फौरन तवज्जह; दी जाय और जितनी लगन व जितना काम वह कर रहे हैं समझा जाएं सरकार को ज्यादा दिलचस्पी से कोशिश करनी चाहिए और किसी प्रकार उनको इस बात का पता लग जाना चाहिए कि वहां ऐसे तत्व हैं जो उनकी बात को कामयाब नहीं होने देते हैं उसके खिलाफ जहां भी जो कहने का मौका हो वहां पर कहा जाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं हों उनको फौरन बन्द करना चाहिए।

अतएव में इन अलफ़ाज के साथ जो प्रस्ताव मूव किया गया है उसका समर्थन करता हूं। हाउस, (सदन) इस मोशन को स्वीकार करके हाउस को एडजोर्न किया जाय।

श्री देवीसिंह:—अध्यक्ष महोदय, आज जो एडजोर्नमेन्ट मोशन हमार हाउस के सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि हमारे प्रान्त में जो बदअमनी फैली हुई है उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस हाउस में कोई भी आदमी इस राय के ऊपर दो रायें नहीं रखेगा कि जो बदअमनी है वह रुकनी बहुत आवश्यक है, और जहां तक प्रान्त की रक्षा और प्रान्त की इज्जत का सवाल है वहां तक इस चीज को बड़ी सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए और में साधारण तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। परन्तु हमें खेद तो इस चीज का है कि जिन सुन्दर शब्दों में जो चीज रखी जाती है उसका तात्पर्य कुछ और ही लिया जाता है। उन्होंने (प्रस्तावक ने) बताया और मेरे कुछ माननीय मित्रों ने अपने भाषणों में फरमाया कि वे लोग हमला कर के आये। उन्होंने जो घटना का चित्र खींचा में इसके डिटेल्स तो ज्यादा नहीं जानता हूं, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसकी पुलिस के द्वारा एन्क्वायरी (जांच) हो रही है, जिसका कि कचहरी के अन्दर बाकायदा मुकद्दमा चलेगा। इस हाउस में उन चीजों को प्रोड्यूस (प्रस्तुत) करना उचित नहीं है। परन्तु इसलिये कि बहुत से मेम्बर उस पर गलत रोशनी डाल रहे हैं, में ज्यादा डिटेल में न जाते हुए कुछ जरूर अर्ज कर दूंगा।

जिस एरिये का यहां जिक्र हो रहा है में वहीं से आया हूं, और मुझको इस केस के बारे में काफी डिटेल में खबरें मिल चुकी हैं। अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि वे लोग वहां हमला करने को गये। हो सकता है कि यह उनकी खबर सही हो, परन्तु मुझे जहां तक जानकारी है वहां तक मामला इस तरह का नहीं है। मामला, जैसा कि अभी विपक्षी दल के नेता ने फरमाया इस प्रकार का है। अभी एक माननीय सदस्य ने शिकायत की कि धान की रक्षा में ६०–७० व्यक्तियों के जाने की क्या आवश्यकता थी, उन्हें हथियार ले जाने की क्या आवश्यकता थी। यह अगर इसी रूप में हुआ है जो कि हमारे नेता ने फरमाया तो वह चीज नहीं हो सकती शायद उन्हें नहीं मालूम कि लटाई का अमल हमारे यहां उस एरिया में किस तरह से है। मेरे ख्याल से राजस्थान के और भी बहुत से स्थानों में जहां लटाई होती है जब तक आपस में बंटवारा नहीं हो जाता है तो नाज की रक्षा के लिए खलिहानों के अनुसार आदमी वहां सोते हैं। इस केस में मैंने सुना है कि वह गांव के बहुत ही समीप का खेत था। वहां अनाज लटाने के ऊपर दंगा होगया, इसलिये कुछ आदमी गांवों से और आये। इस तरह से इस झगड़े ने दंगे का रूप ले लिया। इसको जो डकैती बताई जाती है, और यह कहा जाता ह कि यह षड़यंत्र है यह बिल्कुल गलत चीज है। यह हाउस को प्रेजुडिस करने के सिवाय और कोई चीज नहीं है।

श्री हरलालसिंह:—मैंने इसको डकैती नहीं बताई थी।

श्री देवीसिंह:–हो सकता है कि आपने इसको नहीं बताया हो परन्तु भाषणों का यह तरीका नहीं है कि जो कुछ होता है उसको षड़यन्त्र का रूप दिया जाय। कुछ मेम्बरों ने इस प्रकार कहने का अपना लक्ष्य बना लिया है, और किसी भी रूप में जो चीज होती है उसको लेकर षड़यन्त्र का रूप देकर हाउस के सामने यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह एक बहुत बड़ा षड़यन्त्र हो रहा है और इसलिए उसके ऊपर उचित या अनुचित कार्यवाही किसी तरह से होना चाहिए। जो उचित चीज है वह जरूर होना चाहिए; मैं हाउस से अनुरोध करता हूं। परन्तु मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इस तरह से गलत प्रोपेगेन्डा हाउस के अन्दर और बाहर जो चल रहा है इसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। हम यहां राजस्थान को सुधारने के लिए भेजे गये हैं. गलत रोशनी डालकर, गलत कदम उठाकर, गलत रूप देकर आगे बढ़ाना उचित नहीं है। मेरे एक माननीय मित्र ने कहा था कि यह जागीरदारों का षड़यन्त्र है, जो बड़ी डकैतियां करवा रहे हैं। हो सकता है कि उनका यह अनुमान सही हो; अगर वे सदस्य कुछ दिनों पहले की राजस्थान की रिपोर्ट देखें तो उनमें यह देखेंगे कि जो अभी तक डाकू गिरफ्तार किये गये हैं वह कौन २ किस २ जाति के हैं? उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि यह जो लीपापोती की जाती ह एक ही रंग में सबको रंग देना चाहते हैं, वह चीज वैसी नहीं है। वह इसस कहीं दूर ह। सत्य और इसम बहुत फर्क है। इसलिए मैं मेरे योग्य दोस्तों को अर्ज करूंगा कि वे सच्चाई के ऊपर ही अर्ज करें। यदि किसी जागीरदार ने गलत कदम उठाया हो तो सच्चाई को लेकर उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, परन्तु एक प्रोपेगेन्डा का रूप देकर इस तरह से हाउस के अन्दर झूठा प्रचार किया जाना; एक प्रान्त के लिए शोभा की चीज नहीं है।

मैं यह समझता हूं कि हाउस के अन्दर जो अभी तक इसके ऊपर वाद विवाद किया गया है, उसका एक कारण था उसका एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता ह कि आज जो इसके लिए इन्क्वायरी हो रही है उससे कुछ और रंग दिया जाय। इसलिये मुझे दुख के साथ हाउस के सामने यह निवेदन करना पड़ता ह कि आज जब कि हमारी राजस्थान सरकार मौजूद है और जबकि वह पुलिस के अफसरों के द्वारा जांच करवा रही है तो जब तक इस पर पुलिस की पूरी रिपोर्ट नहीं हो जाती ह, इस पर जुडिशियरी में फैसला नहीं होजाता है कि वह वास्तव में डकैती करने के लिए गये थे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जाय। जब तक असलियत का पता नहीं चल जाता उस वक्त तक किसी चीज के ऊपर राय दे देना सच्चाई पर परदा डाल देना है, या उसको एक विकृत रूप देना है········(विचार जारी)

श्री मोतीचन्द:–प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। हाउस को कोई राय नहीं दी गई; उसकी इमर्जेन्सी को देखकर उसकी चर्चा हो रही है।

श्री देवीसिंह:–मेरे ख्याल से जो हाउस में कहा जाता है उसे आप अगर राय नहीं समझते हैं तो वह और क्या है? जहां तक यह प्रश्न होता कि राजस्थान के प्रान्त के अन्दर गड़बड़ी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, लॉ एन्ड

आर्डर ठीक नहीं है, हम पूर्णतः समर्थन करते । वास्तव में इस चीज को रोकना हमारे सदन का कर्तव्य है। परन्तु एक पर्टिक्यूलर केस को लेकर, जिसकी कि पुलिस के द्वारा जांच हो रही है, उसके ऊपर दूसरी रोशनी डाल देना, मेरे ख्याल से सरकार के उन मुलाजिमों को, जो जांच कर रहे हैं प्रेजुडिस (पक्षपात) करने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है । इसलिये मैं इस चीज का विरोध करता हूं । मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं कि राजस्थान में जो आउट लॉज (न्याय विरुद्ध कार्य करने वाले) हैं उनको दंड दिया जाय । उनको जरूर दंड दिया जाना चाहिए । परन्तु मैं हाउस के नेता से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हमें हाउस के अन्दर ऐसी परम्परा कायम करनी है, जिससे हाउस का वातावरण स्वस्थ रहे । हमें कोई चीज, कोई बात, जिसके बारे में हमें पूरी तरह मालूम नहीं है बाहर के लोगों की तरह हाउस में नहीं कह देना चाहिए । मान लीजिये कि कल उसमें हमारे सारे वक्तव्य के विरुद्ध न्यायालय में फैसला होता है तो हमारे सारे वक्तव्य झूठे सिद्ध होते हैं। जब तक गवर्नमेन्ट का फैसला नहीं होता है उस वक्त तक राय दे देना कि वे उस तरह से डकती करने आये थे, सुन्दर चीज नहीं है ।

अभी अभी यह कहा गया था कि वहां जो दंगा हुआ उसमें एक ही पक्ष के आदमी घायल हुए हैं। मेरे पास एक ट्रयु (सच्ची) रिपोर्ट मौजूद है । मैं एक सही चीज पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं । अगर ऐसा ही होता जैसा कि एक माननीय सदस्य ने फरमाया है तो दूसरी तरफ के आदमियों को जो चोटें आई हैं, जिस तरह की तलवारों, बछियों की कुछ भाइयों को चोटें आई हैं अगर वे डकैती करने आते तो वे न आतीं।

दूसरी चीज हाउस के सामने मैं जो कहना चाहता हूं वास्तव में वही चीज हो रही है। शेखावाटी से मैं ज्यादा परिचित हूं वहां के कारण कुछ और हैं। आज यह बात हाउस से छिपी हुई नहीं है कि जागीरदारी उन्मूलन जो हो रहा है, जागीरदारी के खत्म करने का प्रश्न है ऐसी हालत में.....

माननीय अध्यक्षः—आप इसी मोशन पर बोलिये; दूसरी बातें नहीं आनी चाहिए।

श्री देवीसिंहः—मैं इसी सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं । यह सवाल आता है कि शेखावाटी में जो हो रहा है उसका कारण यह है कि कुछ नेतागण भोमियों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। भोमियों से मतलब उन व्यक्तियों से हैं जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन हो। यहां तक कि पांच बीघा जमीन वाले भी भोमिये मिलेंगे। उन लोगों के पास खुदकाश्त के लिए जमीन होती है उसको छीनने के लिए वे लोगों को यह कह कर भडकाते हैं कि तुम इस पर जबरदस्ती कब्जा करलो। इस तरह से शेखावाटी में इन्स्टान्सेज (दृष्टान्त) वर्तमान हैं । यह मैं हाउस के सम्मुख रखना चाहता हूं। और हाउस को बताना चाहता हूं कि ऐसे सवाल आये हैं कि एक आदमी की खुद काश्त की जमीन

लेने के लिए हमला हुआ; उस जमीन के लिए मुकाबला करना पड़ा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हैं कि वहां जो इस प्रकार की घटनायें होती हैं उसका एक कारण होता है, खास कारण होता है। कुछ नेता लोग वहां के लोगों को भड़का रहे हैं कि उनके पास जो जमीन हैं छीन लो, आगे कोई सुनवाई नहीं होगी, अफसर लोग हमारे कहने से दब जायेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक वदअमनी का सवाल ह वहां पर किसी की दो राय नहीं हो सकती उसको जरूर रोका जाना चाहिए। किन्तु हाउस में इस तरह से किसी बात को गलत रूप देकर रखना, एक चीज को दूसरी चीज बता देना कोई सुन्दर चीज नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव:—अध्यक्ष महोदय, जिस घटना पर इस समय विचार हो रहा है वास्तव में बहुत ही दुख की घटना है। घटना क्या है, कैसे हुई; इस सम्बन्ध में किसी सदस्य को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इससे उस जांच पड़ताल में खराबियें पैदा हो सकती हैं। मैं इस पर एतराज करता हूं यदि इस वक्त यह कहा जाय कि इसमें भोमियों या जागीरदारों का हाथ हैं क्यों कि इसका असर जांच पर पड़ता है हमको इस समय सिर्फ यह देखना हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है? क्या हम इन घटनाओं को रोक सकते ह या नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि और दृढ़ता के साथ बता देना चाहता हूं कि इन तमाम घटनाओं की जिम्मेवारी सरकार पर है। कोई भी सरकार इस प्रकार की घटनाओं की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। एक छोटी सी चीज बता दूं, जिसे मेरे माननीय मित्र सन्तोष के साथ सुनेंगे। मैं सन ४२ में किसी विद्यालय का प्रिन्सिपल था। उसके बीसियों लड़कों ने सन ४२ के आन्दोलन के दिनों में रेल की पटरियां उखाड़ीं। उसके अपराध में वहां के टीचर्स और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां आकर उस इलाके के इन्स्टीटयूशन के लड़कों के लिए और अध्यापकों के लिए कहा कि ये अमन में खरावी पैदा कर रहे हैं, गवर्नमेन्ट के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उस संस्था के चलाने वाले जितने मेनेजिंग कमेटी के मेम्वर्स थे, उन्होंने भी कहा कि हमें बड़ा अफसोस है कि हमसे पैसा पाने वाले हमारे टीचर्स और छात्र–गण ऐसी अराजकता में पड़े हुए हैं। मैंने उस वक्त खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा "मजिस्ट्रेट महोदय, इस संस्था के जो एक हजार विद्यार्थी हैं उनको मैं इस तरह जानता हूं जिस तरह कि एक बाप अपने दो चार वच्चों को जानता हैं। अगर लड़के पटरियां उखाड़ते हैं या और भी कोई कार्य करते हैं तो मेरी इजाजत से करते हैं। उनको पकड़ने के बजाय आपको मुझे पकड़ना चाहिये, मुझे जेल में डालिये। यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ईमानदारी से जांच करेंगे तो जेल में माफी मागेंगे उनसे कहेंगे कि बड़ी भारी भूल हुई। वास्तव में गलती आपकी नहीं।" इसके पश्चात मैंने उस जगह से इस्तीफा दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्पेशल पुलिस द्वारा उसकी जांच करवाई। तमाम षड़यन्त्र का भार पार्टी विशेष पर पड़ा जिसका उद्देश्य गवर्नमेन्ट के खिलाफ तो था किन्तु कांग्रेस को मदद देने का नहीं था। मैंने वह जगह छोड़ी जव स्पेशल पुलिस द्वारा जांच हुई तो जो बातें उनसे मैं कह कर आया था वही साबित हुई। वे खुद जेल में गये और अध्यापकों और छात्रों से माफी मांगी।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह चीज संभव हो सकती कि किसी खास दलबन्दी के कारण एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही हो, षडयन्त्र चल रहा हो। अगर जागीरदार ऐसा कर रहे हैं तो उसका एक साधारण सा हल है। जागीरदारों को अन्डेमन भेज दिया जाय। दूसरी सरकारों जैसे आस्ट्रिया, अफ्रीका आदि की सरकारों से मिलकर उनसे जमीन मांग कर उनको वहां बसा दिया जाय। ऐसा करने पर उन तमाम डकैतियों का हल निकल आयेगा। दूसरा तरीका लार्ड विलियम बैंटिक का था। उसने बड़े बड़े आफिसरों को इंगलेन्ड से बुलाया। उन्होंने डकैतों को गिरफ्तार किया। एक साल में ५०–६० डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। सारा भारतवर्ष डाकुओं से साफ कर दिया। डकैतों के जो सरदार थे उनसे दोस्ती की और राजा बनाकर उनको कुछ इलाकों का राज दे दिया। मैं बताना चाहता हूं कि यदि यहां के अफसर योग्य नहीं हैं तो उसके लिए अमेरिका या इंगलेन्ड से अफसर मंगाने चाहिये जो वास्तविक स्थिति की जांच करें। यदि ये कान्ड इसी प्रकार भी बन्द न हों तो ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की जो नीति थी कि लूटने वालों को राजा बना दिया जाय वही नीति फ्रंटियर प्रोविन्स में, जहां स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता था बच्चों को उड़ा लिया जाता था। उनको ब्रटिश गवर्नमेन्ट पेन्शन दिया करती थीं; जिसको हम कांग्रेस जन रिश्वत के नाम से पुकारा करते थे; जिससे कि वे अमन कायम रखने के लिए मदद करें, किसी तरह की मनमानी न करें; डकैती वगैरह न होने देने के लिए उनको इसीलिए पेन्शन मिला करती थी।

तो मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर वे योग्य हों तो आज जो तमाम बदअमनी नज़र आ रही है बहुत कुछ रुक सकती हैं, बदअमनी करने वालों की ईमानदारी से जांच करा सकते हैं, इंगलेन्ड से अफसरों को बुला सकते हैं। अगर मंत्रियों में इतनी क्षमता नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि उन्हें एक मिनिट भी सरकारी कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं है। हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि देश के अन्दर अमन कायम रखें और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हमें गवर्नमेन्ट चलाने का अधिकार नहीं हैं। मैं यह बता दूं कि आपको कि जो पुलिस के ऊपर २,५०,००,००० खर्च किया जा रहा है आज इसको बिल्कुल बन्द भी कर दीजिए और एक भी पुलिस का आदमी न रखिये तो भी मुझे विश्वास है कि तब भी आज से अधिक अराजकता नहीं बढ़ेगी। सुरक्षा के अन्तर्गत जब हम इतना बड़ा खर्च रख रहे हैं तो आदमी भी योग्य होने चाहिए जो कि इस अन्धेरगर्दी को रोक सके। मुझे डर है कि मेरा भाषण लम्बा चौड़ा भाषण न होजाय फिर भी मैं जिस एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह ह कि जब तक हम जनता के चरित्र को नहीं सुधारेंगे, उनमें ईमानदारी नहीं लायेंगे तब तक भोमियों के तथा दूसरों के झगड़े नहीं मिटेंगे।

हम स्वयं भी इसमें एक गलती कर रहे हैं। सब जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर ना चाहिए और एक साथ छीन लेना चाहिए। मेरे मित्र कुम्भारामजी ने परसों यह कहा था कि जोरू और जमीन उसकी जाती है जो कमजोर हो। मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे मित्र जो कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य ह।

तब क्या मतलब यह लिया जाय कि हरेक जागीरदार और जमींदार को मरने-मारने को तैयार होजाना चाहिए ? ऐसा होने पर तो वह यह सोचेगा कि क्या वह कमजोर है कि उसकी जमीन चली जायगी। देखना यह है कि इस बुराई का कारण वह अभाव है जो कि हमें इस चीज के अन्दर मिली है। एक आदमी कहता है कि मैं दो साल के बाद जमीन छोड़ दूंगा, दूसरा कहता है कि मेरे ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े हैं इसलिए साल भर बाद छोड़ूंगा। तो जब तक यह बेईमानी है तब तक यह झगड़े फिसाद कभी नहीं मिटने वाले हैं। इसके लिए या तो कम्युनिस्ट तरीके का प्रयोग करके सारी फैक्ट्रियों, सारे कारखानों को अपने हाथ में ले लिया जाय और यहां बिल्कुल साम्यवाद कायम कर देना चाहिए। यदि ऐसा न होसके तो जो तरीका हमारे देश का है उसके अनुसार आचरण करें। ऐसा करते समय हमें चरित्र को नीचे गिराने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को और किसी सेन्स (भाव) में न लेकर ठंडे दिल से विचार करना चाहिए और हमें इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री घीसीसिंह:—अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव आज हमारे सामने श्री सरदार हरलालसिंहजी ने पेश किया है वह लॉ एन्ड आर्डर अर्थात बदअमनी के विषय में है। बदअमनी के कितने ही कारण हो सकते हैं। उस बदअमनी का कारण गुंडागर्दी हो सकता है। उस बदअमनी का कारण जो कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट को नहीं चाहते ह वह भी करा सकते हैं, ताकि बदअमनी हो और वह गवर्नमेन्ट न टिक सके। इसमें खास बात यही हो सकती हैं कि जागीरदार और किसानों के बीच संघर्ष हो। इसमें बहुतसी आन्तरिक भावना छिपी हुई ह। इसमें आंतरिक भावना यह भी छिपी हुई मालूम होती है जो कि हमारे श्रीमान यादवजी के उद्‌गार हुए कि इंतजाम करने वालों को अमेरिका और इंगलेन्ड से बुला लिया जाय या उनका राज्य कायम कर दिया जाय। यह एक भावना छिपी हुई है कि वह सरकार जो कि यहां से बिदा हो गई ह वह यहां आ जाय तो हम उनकी मिन्नत कर और हम खुशी की बधाई बांटे, लेकिन यह समझने की बात है कि हमारा देश जो हजारों साल की गुलामी के बाद आज आजाद हुआ ह यह हमारे लिए, हिन्दुस्तानियों के लिए एक कलंक की बात होगी। किसान भी हमारे भाई हैं, जागीरदार भी हमारे भाई हैं, हम एक हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, इस हिन्दुस्तान के नागरिक ह। और जब........

माननीय अध्यक्ष:—आप इस प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री घीसीसिंह:—जी हां, और जो परामर्शदाता हमारे यहां मौजूद हैं वे भी इस हिन्दुस्तान के ही रहने वाले हैं। आज हमारा सबका, बदअमनी का जिम्मा है। यह नहीं होना चाहिए कि यह सारा जिम्मा हमारी गवर्नमेन्ट के ऊपर ही थोप दिया जाय। इसमें तो हरएक नागरिक का जिम्मा है। अगर हरेक नागरिक जब तक अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेगा यह बदअमनी न गवर्नमेन्ट मिटा सकती है और न इंगलैन्ड से आने वाले इसे मिटा सकते हैं।

इंगलेन्ड स आने वाले ही अगर एसे कृत्यों को रोक सकते तो वे यहां से भाग ही क्यों जाते ? इसलिए आप महरबानी करके किसी के ऊपर कोई लांछन लगाने की ओर किसी के ऊपर थोपाथोपी की ओर इस लीपापोती की कार्यवाहियों को छोड़ते हुए अपना हिन्दुस्तानी माइंड कायम करें, हिन्दुस्तान के एक नागरिक बनें और इस देश की आजादी के लिए एक प्रेम, सदभावना दिखाने की कोशिश करें। अगर यह भावना नहीं रहेगी तो कौन कह सकता है कि किसका क्या होगा ? आपस में मारकाट होगी, किसान भी हमारे भाई हैं, वे कटेंगे, और जागीरदार भी हमारे भाई हैं वे भी कटेंगे । हिन्दु-मुस्लिम समस्या के साथ यह समस्या भी उठ खड़ी होगी । उसका नतीजा क्या होगा यह तो हम अभी चन्द दिनों पहले देख ही चुके हैं । हमारे ये जो परामर्शदाता हैं यही इसके कारण हैं । उन्होंने कानूनों का जाल बनाकर हमारी हकूमत को कैद कर दिया है। हकूमत किसी को कोई हुक्म छोड़ती है तो कोई कर्मचारी मानता ही नहीं । इस स्थिति को सुधारने के लिए और अमन कायम करने के लिए हमारी सरकार कुछ करने को कहे तो उसकी माने कौन? बजट घाटे का जा रहा है इसीलिए ।

माननीय अध्यक्ष:–ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री गोपीलाल यादव:–मेरे माननीय मित्र ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैं तो अंग्रेजों को बुलाना चाहता हूं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री भी कई जगहों पर जिन पर कि कोई योग्य हिन्दुस्तानी उपलब्ध नहीं होता अब भी अंग्रेजों और अमेरिकनों को बुला रहे हैं।

श्री ईश्वरसिंह:–दोन्यु तरफां की बातां सुणी तो मेरो भी थोड़ो दिल हुयो कि मैं भी थोड़ो बहुत क्यु न कहूं। तो आ जो अराजकता है आ नी मिटे ईंको के कारण है। आज महात्मा गांधीजी री ही हकूमत चाल री है। वे आज सूं ६० साल पेली कयो कि मरो पर मारो नहीं। मैं तो आ कहूं कि न तो मरवा में फायदो है न मारवा में फायदो है। सरकार ने चाहिजे कि वह ईंको पूरो इन्तजाम करे। आज जो इण तरां की अराजकता होरी है के कठे तो किसानां ने लूटे है तो कठई वां के खेतां ने जलावे है। कोई आ भी केवे कि जागीरदार किसानों ने लूटे है, ने मारे ह, पर या भी बात देखबा की है कि भाई जागीरदारां के हाथ में कांई आवे। राज अबार कांग्रेस वालां के हाथ में है, तो सरकार को ही यो फरज है कि चोर और साहूकारों को पतो लगावे। चोर और साहूकारां को भेद तो हर आदमी जाण सके है और वांने जाणबो भी चाहिये । कई जगां हमला होवे, ६०–७० आदमी जा जाकर सशस्त्र हमला करे और वींकी कांई जांच नी होवे तो आ बात होणी नहीं चाहिजे। चोर डाकू धमकियां देवे, कई जगहां लूटमार करे, हत्यावां करे तो इण प्रकार की धककिया सूं सरकार डर जावगी और वांके खिलाफ कोई कदम नहीं उठावेगी तो फेर बचावण वालो कुण है। ईं वास्ते सरकार ने ईं तरहां को पूरो इंतजाम करणो चाहिजे ।

श्री मोतीलाल:–अध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष चीज को लेकर जो "काम रोको प्रस्ताव" सदन के सामने रखा गया है जनता के खास इम्पोर्टेन्ट

एन्ड इमरजेन्सी के प्रश्न को लेकर रखा गया है उस पर बहस चल रही है। इस विषय में कुछ इधर से और कुछ उधर से हुए भाषणों में बहुत कुछ बातें कही गई हैं। जो बातें कही गई हैं उनमें यह भी कहा गया है कि यह प्रस्ताव अधिक पब्लिक इम्पोर्टेन्स और एमरजेन्सी का नहीं है। यह प्रस्ताव एमर्जेन्सी का है या नहीं यह तो तय हो चुका है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि इसका निर्णय न्यायालय करेगी इसलिये इसकी यहां जरूरत नहीं है; इस बात का सरकार न्याय करेगी। मगर जनता किस तरह से मारी जा रही है, मर रही ह, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव हाउस के सामने रखा गया है। ये बातें यानि चोरियें और डकैतियें और हत्याएं आज से नहीं, तीन साल से हो रही हैं और अगर मैं, जोधपुर के बारे में जो डकैतियें और हत्याएं हो रहीं हैं उनका वर्णन करूं तो एक किताब बन जावेगी। इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती हैं? यह एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको हम अभी दृष्टिकोण में लेते नहीं हैं। जागीरदारों के आदमी मर्डर करते हैं, लोगों को गोली से उड़ा देते हैं इत्यादि के बारे में मैं ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं तो विरोधी दल की तरफ से कहा जाता है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को लेने से क्या लाभ होगा; ये तो कोर्ट में जाने चाहिये। एक दूसरे पर छींटाकशी होगी। मुझे इस सम्बन्ध में मारवाड़ी में एक कहावत याद आई है "चोर की दाडी में तनका"। उनके दिल में क्यों डर उत्पन्न हुआ? जो विषय सामने आया ही नहीं तो फिर उनको डरने की क्या जरूरत थी? विषय के सामने आने से पहले ही डरने लग गये और कहने लग गए कि छींटाकशी शुरू होगी। मुझे इस बात के लिये दुख है। मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि अपने दिमाग को साफ रखें और उसे प्रेजुडिश (पक्षपात पूर्ण) न रखें।

अब मौजूदा प्रस्ताव जो हाउस के सामने है वह वास्तव में महत्व का प्रस्ताव है। इसके पीछे कितना रहस्य छिपा है इसका पता तो जांच करने से लग सकता है। कल का प्रस्ताव जो मैंने रखा था उसमें सभी बातों का खास कर जोधपुर और सेखावाटी और बीकानेर में किस प्रकार अराजकता फैली हुई है पूर्ण रूप से जिक्र था। उससे आपको मालूम होता कि वास्तव में वहां पर किस ढंग से रहस्य पूर्ण घटनाएं घट रही हैं। एक महीने में कितनी घटनाएं और मर्डर हुए हैं.........

श्री देवीसिंह:–यह प्रस्ताव शायद झांझर ग्राम के लिये है, न की जोधपुर के लिए।

श्री मोतीलाल:–यह जो घटना घटी उसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वहां लटाई के बारे में कुछ लोग किसानों को रोकने के लिए गये, किसान जबरदस्ती अनाज ले जाने लगे थे और इसलिये मारपीट शुरू हुई। यह लड़ाई ढ़ाणी और कुंए पर हुई जहां पर ६० आदमियों ने जाकर हमला किया। यदि किसान लोग अनाज ले जा रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप उसके लिए

सरकार से प्रार्थना करते। इसके लिये कानून साफ है। राजस्थान का ही नहीं, हिन्दुस्तान का और मैं तो यह कहूंगा कि दुनिया भर में जितनी सरकारें हैं उनका कानून साफ है कि ऐसे मामलों में सरकार इन्तजाम करती है न कि आप खुद कानून को हाथ में लेते। कानून साफ है कि वे कानून से मदद ले सकते थे। आप खुद जाकर किसानों को जबरदस्ती मना नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उस तरफ ध्यान दें। यदि लटाई के सम्बन्ध में लोग जाकर सरकार से यह निवेदन करते तो सरकार उनकी तरफ ध्यान देती।

यह कहा गया है कि परम्परा के मुताबिक वे वहां गये। राजस्थान बनने के बाद कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उन्हें पुरानी परम्पराओं को भूल जाना चाहिये। क्या उनकी पुरानी परम्पराएं यही थीं कि किसी के साथ जबरदस्ती की जाए। यदि आपकी पुरानी परम्पराएं यही थीं तो हम उनको ठुकराते हैं। ऐसी परम्पराएं अब कायम नहीं रह सकती। रहस्यपूर्ण घटना घटी उसके लिये कहा गया कि यह झूठी बात ह और झूठी बात कह कर इसको हाउस के सामने लाया गया है। झूठ और सत्य क्या है, इसके लिये मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक जांच कमेटी बिठाई जावे और अगर जरूरत हो तो सरकार इसके लिये अपनी केबिनेट में विचार करके ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तियों के हाथ में इसका भार सोंपे जिससे यह मालूम हो कि यह घटनायें एक ही नहीं हैं इसके पीछे बहुत सी रहस्यपूर्ण घटनाएं छिपी हैं। उस वक्त यह निश्चित हो जाएगा कि यह झूठ है या सच्च।

मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि ऐसी घटनाएं तो हर जगह घटती रहती हैं और घटती रहेंगी। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? जब सरकार यह कहती है कि ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं तो मैं यह पूंछूगा कि क्या ऐसी घटनाएं पहले घटा करती थीं? पहले जनता का राज्य नहीं था और अब जनता का राज्य है इसलिये ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिये? लेकिन जिस रूप में हाउस के सामने वातावरण आता है उससे यह महसूस होता ह कि उस तरफ बैठने वाले व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की समझते हैं जिन्होंने या तो उनको वोट दिये हैं या जिस कांस्टीटचुएंन्सीज (निर्वाचन क्षेत्र) से वे आये हैं। मैं यह कहूंगा कि उन्हें क्या गरीब, क्या किसान, क्या जागीरदार और क्या अमीर सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे कोई किसी भी पक्ष से आया हो उसकी यह जिम्मेवारी है कि जब वह सारी जनता का एक प्रतिनिधि है तो उसको जनता के सारे सुखों को देखना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष, यह बतलाया गया है कि यह टंटा बंटवारे के कारण हुआ। मुझे तो दिखता ऐसा है कि यह टंटा बंटवारे के सम्बन्ध में नहीं हुआ क्योंकि इतने आदमी डकैती करने के लिये हमला करने क्यों आएं? यदि बंटवारे का प्रश्न ही होता तो वे पुलिस से मदद ले सकते थे। मगर साफ जाहिर तो यह है कि उन्होंने पुलिस के पास रिपोर्ट तक नहीं दी और आधी रात को जाकर हमला कर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री मोतीलाल:-मैं दो मिनट और अर्ज करना चाहता हूं।

जमीन का प्रश्न है इसके लिये मैं यह कहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी जमीनों को अपने हाथ में लें और जो जमीन का बंटवारा हो वह सरकार द्वारा हो न कि जागीरदार द्वारा; ताकि जागीरदार जाकर किसानों को तंग न करे। उन्हें चाहिए कि वे सरकार से मदद लें और सरकार को चाहिए कि उन्हें पूरी तरह से बंटवारा कराने में मदद दे। ऐसा न हो कि जागीरदार जबर्दस्ती जाकर बंटवारा कराने के लिये जाए। मैं इस घटना को दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिये स्पेशल ट्रिब्यूनल जिसके सदस्य निष्पक्ष हों बिठाई जाए और बोर्ड.....

माननीय अध्यक्ष:-ओर्डर-ओर्डर।

(विराम)

जो भी माननीय सदस्य बोलें वे जो विषय चल रहा है उसके बारे में ही बोलें।

श्री भीमसिंह:-अध्यक्ष महोदय, अभी जो एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बहस चल रही है। उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने और ही कुछ रूप दे दिया है। अभी एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि जमीन का बंटवारा हो रहा था उस पर झगड़ा हो गया। माननीय सदस्यों को इस बात का भी पता नहीं है कि यह जमीन के बंटवारे का प्रश्न नहीं था।

श्री कपिलदेव:-केन वन ओनरेबल मेम्बर स्पीक टवाइस (क्या एक मा० सदस्य दुबारा बोल सकते हैं)।

माननीय अध्यक्ष:-ही इज अनोदर ओनरेबल मेम्बर (ये दूसरे माननीय सदस्य हैं)।

श्री भीमसिंह:-कुछ महानुभाव पहचानने में भी गलती करते हैं हालांकि एक ही होस्टल में रहते हैं।

दूसरी खास चीज यह फरमाई कि यदि इस तरह की वारदात का पता था तो भोमियों को चाहिये था कि पुलिस में वे पहले रिपोर्ट कर देते। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में निजामत व तहसीलदार के पास पहले ही शिकायत करदी गई थी। वास्तव में असलियत यह थी कि उस गांवों में उनाल फसल का पांचवा बांटा लिया जाता रहा है जब कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने चौथा हिस्सा लेने का ओर्डर निकाला है। आज तक कभी भोमियों और किसानों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। इस बार स झगड़े का कारण जैसा कि माननीय सदस्य किशनलालजी शाह ने फरमाया कि सरकार को कारण खोज

निकालना चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि इसका कारण खोज निकालना चाहिये कि इस झगड़े का वास्तविक कारण क्या ? वास्तव में आज तक क ी उनके आपस इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ तो अबकी बार कसे झगड़ा होगया ? कुछ नेताओं ने जाटों को यह कह कर बांटा देने से रोक दिया कि अब की बार सरकार जल्दी ही छठा बांटा कर` वाली है तव तुम लोग पांचवा बांटा क्यों देते हो? उन्होंने कहा कि जब सरकार का हुक्म चौथा बांटा लेने का था तब भी हमारे यहां तो पांचवा बांटा लिया जाता रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने काश्तकारों को इस तरह भड़का कर भोमियों के और उनके आपस में फूट डालने की कोशिश की । इसी कारण से आज तक काश्तकारों को भड़काया जा रहा है।

श्री किशनलाल शाह:--मैं कुछ स्पष्टीकरण करने के लिये जैसा कि आपने अभी फरमाया कि काश्तकारों को कुछ नेताओं ने भडकाया कि चौथा हिस्सा देने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि छठा हिस्सा लिया जानेवाला है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वैसाख के पहले ही·······

श्री भीमसिंह:--मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ सका।

श्री किशनलाल शाह:--मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इस झगड़े का कारण कुछ लेने-देने का बतलाया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भोमियों के बांटा लेने का ड्यू कब आता है और किसानों के देने का ड्यू कब आता है।

श्री भीमसिंह:--आज तक राजस्थान में इसके लिये कोई एक सी चीज नहीं बनी है। हमारे यहां पुराने जयपुर एरिया में जयपुर टिनेन्सी एक्ट लागू है। इसके अनुसार साख की फसल लेने का समय १५ अप्रेल से शुरू होता है और जहां टिनेन्ट्स और भोमियों के आपस में झगड़ा नहीं होता वहां जैसै जैसे अनाज निकलते हैं वैसे वैसे लाटा लेते हैं। माफ कीजियेगा इसका समय १५ अप्रेल के बजाय १५ मार्च हैं और आखरी तारीख १५ मई है। इस दिन तक अगर कोई किसान नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जिस बारे में यह मोशन लाया गया है उसका किस्सा यह है कि उस स्थान पर एक कूआ है और उस कूए के पास लाटे का अनाज पड़ा था। इसके बाद उन्होंने यह कहा कि भोमियों ने जबरदस्ती अनाज लेजाना चाहा। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि वास्तव में यह बात नहीं थी। सारे राजस्थान प्रान्त में जहां जहां लाटे होते हैं वहां पर यह रिवाज है कि जब तक लाटे नहीं हो जावें तब तक अनाज की रखवाली के लिये भोमिये अपने आदमी वहां पर रखते हैं जिसका मतलब यह होता है कि वे करसों को चोरी से अनाज लेजाने से रोकते हैं। सदा कि भांति रखवाली वाले लोग रात को वहां अनाज के पास सो रहे थे। मोशन रखनेवालों ने यह फरमाया कि वहां पर १५० आदमी थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब भोमियों के १५० आदमी वहां पर थे तो उनके ज्यादा चोट कैसे आई और करसे जो १३ आदमी थे उनके कम चोटें कैसे आइं। म इस

फेक्ट को आपके सामने रखता हूं कि भोमियों के केवल ८ आदमी वहां पर थे; वे इनजर्ड हुए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भोमियों की तरफ के लोगों के ज्यादा चोट आई है। अब आप ही बतलाइये उधर के लोग ज्यादा थे या इधर के।

श्री किशनलाल शाह:–क्या माननीय सदस्य यह बतलायेंगे कि जो लोग भोमियों की तरफ से वहां सोये हुए थे वे खेत के मालिक थे या उनके अलावा कोई थे?

श्री भीमसिंह:–आपको मालूम होगा कि शेखावाटी के अन्दर सबका बराबर बराबर हिस्सा होता है। वहां पर छुटभाई वगैरह अलग नहीं होते। हमारे यहां एक एक खेत में ४० आदमी तक हिस्सेदार होते हैं।

श्री किशनलाल शाह:–क्या ये सब मालिक थे या उनके नौकर तनखा पर रखे हुए थे?

श्री भीमसिंह:–जो मालिक होते हैं वे भी रह सकते हैं और नौकर भी रह सकते हैं।

श्री मोतीलाल:–आप यह बतलाने में इन्कार क्यों कर रहे हैं कि उन आठ आदमियों में से सभी खेत के मालिक थे या दूसरे आदमी भी थे।

श्री भीमसिंह:–मैं हाउस के सामने कोई गलत चीज नहीं रखना चाहता। जब तक मेरे पास कोई डेफिनिट (निश्चित) इन्फर्मेशन नहीं आजाती तब तक मैं नहीं कह सकता कि इनमें से कौन मालिक थे और कौन नौकर।

श्री मोतीलाल:–तब हम कैसे मानलें जबकि आपको डेफिनिट हालात भी मालूम नही हैं।

श्री भीमसिंह:–मैं नहीं कह सकता आठों मालिक थे या नौकर थे। एक एक खेत के कई हिस्सेदार होते हैं। अभी मैं अर्ज कर रहा था कि १५० आदमियों ने भोमियों की तरफ से किसानों पर हमला किया जैसा कि हरलालसिंहजी ने फरमाया था।

श्री हरलालसिंह:–मैंने १५० आदमी नहीं बताये; मैंने तो ६०–७० आदमी बताये थे।

श्री भीमसिंह:–खैर, यदि ६०–७० आदमी भी १३ आदमियों पर हमला करते हैं तो फिर उन इतने आदमियों के तो अधिक चोट नहीं आनी चाहिये थी। भोमियों के ८ आदमी घायल हुए हैं और काश्तकारों के ५ आदमी घायल हुए हैं। उन आठों में से एक शरावसिंह की हालत सबसे अधिक खतरनाक है। वह

७२ वर्ष की उम्र का है। उसका बायां हाथ बर्छे की चोट से कट गया है, जबाड़े की हड्डी टूट गई है। बर्छी की चोट लगी है, लाठी की चोट भी लगी है। एक ७२ साल के आदमी के इतनी चोटें लगी हैं।

इस प्रकार ७२ वर्ष के आदमी के ऊपर वार किया गया। दूसरा आदमी बिरजूसिंह नाम का आदमी है जिस पर कि तलवार का घाव पूरा दो इंच गहरा बैठा है। चौथा सोनाराम नाम का आदमी है जिसके ३, ४ इंच घाव तलवार का लगा है। बिरजूसिंह की कलाई तलवार से कट गई, हड्डी तक कट गई। बालूसिंह नाम का आदमी छिपने से बच गया। सातवां गजसिंह था जिसका कि हाथ लाठी से टूट गया। आठवें के पत्थर सिर पर लगा और उसका सिर फट गया। इस दंगे में उन लोगों के पास तलवारें नहीं थीं तो यह तलवारें, बर्छियें, कहां से आई। पांच काश्तकार जो घायल हुए हैं तो उनमें एक आदमी के हाथ में बर्छी की चोट लगी है, एक के लाठी की चोट लगी है, एक के पांव में कोई तीखी सी चीज की चोट लगी है। उन पांचों आदमियों में से किसी के मरने जैसी हालत नहीं है; मजे से बोल-चाल लेते हैं। उन आठ आदमियों में से २ आदमी तो आज तक नहीं बोले हैं; उनके इन्जेक्शन लगाये जा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत है कि एक दो दिन में ही मर जायं।.... (विचार जारी।)

श्री किशनलाल शाह:—जो चोटें उन दूसरे लोगों के आई हैं उनसे आप समति प्रकट करते हैं या असहमति।

श्री भीमसिंह:—जब तक हमें डेफिनेटली (निश्चित रूप से) मालूम नहीं हो जायगा कि वे चोटें किस चीज की हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बातें जो मैंने कही हैं वे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर की हैं.... (विचार जारी)

श्री किशनलाल शाह:—साधारण तौर पर हालांकि इस बात का जिक्र नहीं आया है, लेकिन जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूं कि जो बंदूकों की चोटें लगीं क्या उसे साफ तौर से प्रकट है कि वे बन्दूकें भी जागीरदारों व भोमियों की पार्टी के साथ थीं?

श्री भीमसिंह:—वहां यह घटना हुई १६ तारीख की रात को हुई उसके २ घन्टे बाद ही घायल भोमिये पुलिस स्टेशन नवलगढ़ चले गये और पुलिस में रिपोर्ट करदी और पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद अस्पताल में भर्ती कर दिये गये। वह गवर्नमेन्ट अस्पताल है। काश्तकारों की रिपोर्ट बहुत देर बाद हुई है जबकि नेताओं से सलाह मशविरा कर लिया गया। उन ८ आदमियों को जिनमें से २ मरने वाले हैं सरकार की तरफ से गिरफ्तार कर रखा है। उनके पास सिर्फ एक ही आदमी को रहने दिया जाता है जबकि ८ आदमी घायल हैं और उस तरफ के काश्तकारों को जिन्होंने कि ८ आदमियों को घायल किया है और जो अपराध की ३२ वें दफा के अन्तर्गत आता है

और नानबेलेबल आफेन्स हैं, ऐसी हालत में भी उनमें से एक आदमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है (शेम: शेम) साथ ही साथ वहां के नाजिम ने सारे भोमियों को इकट्ठा करके करीब १५०-२०० की तादाद में, यह धमकी दी है कि या तो आप लोग ही इसमें रहेंगे या मैं ही रहूंगा; आप लोगों ने आज तक यह किया, आप लोगों ने फलां किया आदि। जबकि पुलिस इन्क्वायरी (जांच) कर रही है तो क्यों नहीं उसको खुली एन्क्वायरी (जांच) करने दी जाती है? साथ ही साथ दूसरी तरफ का रवैया यह है कि जिन्होंने इतने आदमियों को घायल किया उनके खिलाफ तो कोई कानूनी कार्यवाही नहीं और फिर भी कहा जाता है कि यह तो कोर्ट (न्यायालय) डिसाइड करेगी कि इधर की गलती थी या उधर की। यदि जिन आदमियों ने ऐसा नहीं किया है तो क्या वे अपने आप घायल होगये हैं, और किसी ने उन्हें घायल नहीं किया है। उन्हें पुलिस क्यों नहीं तहकीकात करके गिरफ्तार करती है? बहुत सी बातों का अन्दाजा ठीक नहीं लगता है। ऐसी हालत में मैं यही निवेदन करूंगा कि कम से कम आपस की फिरकाबन्दी, आपस की पार्टीबन्दी नहीं होकर पुलिस को कारवाई करने दी जाय क्योंकि यह जिन कारणों से होता है वह यह हैं कि लोग एक दूसरे को कुछ कह देते हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता लोग इस प्रकार भड़काने में दिन रात लगे हुए हैं।......(विचार जारी)

श्री किशनलाल शाह:—नेतागण से मतलब विरोधी दल से है?

श्री भीमसिंह:—नेता कोई भी हो सकता है जो नेतृत्व करता है; वह नेता है यही इसकी परिभाषा है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय अध्यक्ष थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी मुझे अवकाश दें तो।

आज के वाद-विवाद में "काम रोको प्रस्ताव" के संबंध में मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं थी और न मैं इस बहस में हिस्सा लेना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ आवश्यक बातें आपके सामने थोड़े से शब्दों में पेश करना चाहता हूं जिससे हमें हमेशा के लिए कुछ ठीक तथ्य मालूम करने में सुभीता हो।

सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि जो वाद—विवाद इस घटना को लेकर के इस सदन में हुआ है वह दो भागों में बांटे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा हिस्सा बहस का हमारे प्रान्त की आम तौर पर शान्ति और व्यवस्था की बात को लेकर हुआ है। मेरी समझ में उस आम सवाल का इस घटना से या कम से कम इस काम रोको प्रस्ताव से कोई विशेष संबंध नहीं होना चाहिये और न ऐसा समझना चाहिए क्योंकि शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न पहले ही इस हाउस के वाद—विवाद के लिए आ चुका है। उस पर बहुत विस्तार से बहस की जा चुकी है, और मैं महसूस करता हूं कि शायद इस मामले पर अगर २—४ सदस्यों ने बहुत जोर दिया है तो मैं अपने आपको उनमें से एक समझता हूं लेकिन इस "काम रोको प्रस्ताव" को लेकर उस विषय पर फिर कोई बहस जो उठाई जा सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिये था।

दूसरी बात इस संबंध में जो कि हमारे ध्यान में आई है वह यह है कि जो घटना हुई वह क्योंकर हुई है, और उसका सही रूप क्या है। मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस मामले में इस सदन को कई बातें उस घटना के संबंध मे हमें सुनने को मिली है। हाउस के अलग २ हिस्सों से अलग बातें कही गई हैं। इस हाउस में बैठे हुए अगर केस की छानबीन करें; अथवा कोई साधारण व्यक्ति इस मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश करें तो उसके लिए यह नामुमकिन है; वास्तविकता पर पहुंचना असंभव सा है। मेरा, अध्यक्ष मोहदय, निवेदन है कि इस काम रोको प्रस्ताव को इस हाउस में नहीं लाना चाहिए जिसके संबंध में वास्तविक जानकारी नहीं हो और इस मामले को लेकर घन्टों तक बहस नहीं करनी चाहिए।

जब तक वास्तविकता की मालूमात न हो उस पर बहस करना व्यर्थ है। उस मामले को लेकर अब तक इतनी बहस हुई है फिर भी आखिर कार किसी नतीजे पर न पहुंच पाये। जहां तक हमें कोई घटना ठीक रूप मालूम नहीं होती तब तक इस हाउस में बैठे हुए किसी जिम्मेदार सदस्य के लिये यह नामुमकिन हो जाता है कि वह हाउस में कुछ कहे। जमीन को लेकर के ऐसे झगड़े हमारे प्रान्त में हो जाते हैं यह मुख्य मंत्री ने स्वयं ने स्वीकार किया था। किसी घटना को लेकर हमारे हाउस में किसी एक हिस्से को या दूसरे हिस्से को उससे संबन्धित करना मेरी समझ में न्यायसंगत नहीं। जो कुछ भी हुआ है और जो मसला हमारे सामने है अभी तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं; यह हर सदस्य को अनुभव हुआ होगा। जहां तक हमारा सदन से ताल्लुक है हम किसी खास निर्णय पर पहुंच नहीं पाते। ऐसी सूरत में हम क्या इस संबन्ध में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं किसी पर इसकी जिम्मेवारी रख सकते हैं? अगर यह बात हम अपने ध्यान में रखें तो मैं समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के कार्य को नहीं लिया जावेगा।

श्री किशनलाल शाह:—माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थगन प्रस्ताव पर हाउस ने जो निर्णय लिया है और उसके लिये जो प्रोसीजर मौजूद है क्या वह गलत निर्णय था।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अक्सर मैंने माननीय मित्रों से निवेदन किया था कि इस हाउस में इस प्राकर बोलें कि ताकि उनको सुना जा सके। मुश्किल की बात तो यह है कि मैं माननीय मित्र की बात नहीं सुन सका तो उस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। यह भी सदस्यों को विदित होना चाहिये कि जब कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में बोलने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस "काम रोको प्रस्ताव" के संबंध में बहस हो चुकी है मैं नहीं समझता कि इससे किसी पक्ष का संभवतः कुछ हित हुआ है। जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया दोनों पक्ष के आदमियों को चोटें आई ऐसा बताया गया है; किसी को कम और किसी को अधिक आई हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि एक पक्ष आक्रमणकारी था और दूसरे पक्ष ने आक्रमण को बर्दाश्त किया। यह सारी बातें अटकल बाजी के रूप में कही गई और निर्णय पर नहीं पहुंचे सके।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है । हाउस के एक हिस्से से यह आवाज सदन में पेश की गई कि इस मामले को लेकर एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाय, जांच कमेटी बिठायी जाय। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक न्यायसंगत होगा? मामूली तौर पर काम करने वाले इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सीज हैं, पुलिस है। क्या हम यह समझते हैं कि क्या वे ठीक तरह से इस काम को नहीं कर सकेंगे? अगर हमें भय है, डर है तो यह प्रस्ताव हाउस में जरूर सोचा जा सकता है। मेरा, माननीय मुख्य मंत्री से. सरकार से निवेदन है कि इस मामले को काम की साधारण मशीनरी के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे न्याय को किसी प्रकार से ठेस पहुचे........

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा में और जिस घटना को लेकर यह "काम रोको प्रस्ताव" आया है, वे क्षमा करेंगे, मैं कभी भी कल्पना नहीं करता था कि इसको "In order" करार दे दिया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष:—Is it meant to challenge the ruling of the chair.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—Sir, I do not challenge the ruling, I only express my feeling.

अध्यक्ष महोदय, फिर भी इस पर जो वाद–विवाद हुआ और काफी लम्बा चौड़ा हुआ। वाद–विवाद का दायरा संबन्धित प्रश्न तक ही सीमित नहीं रहा। आखिर इस वार्ता का बहुत फायदा उठाया गया; इस हाउस का बहुत समय लिया गया। मैंने जैसा पहले निवेदन किया था कि यह घटना बड़ी दुखःद घटना थी। इस प्रकार की घटनायें राजस्थान में ही नहीं देश के दूसरे भागों में भी प्रायः भूमि के मामले में, किसानों के आपस में अथवा किसान या जमींदार के होजाया करती हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि इसक बारे में कोई अर्जेन्सी मालूम नहीं हो रही है। और इस प्रकार घटनाओं को लेकर के स्थगन प्रस्ताव पर बहस होना हाउस का बहुत समय ले लेना है। जो कोई भी इस प्रकार की कार्यवाही करता पाया जायेगा उसको न्यायालय के द्वारा उचित दंड दिलाने का पूरा प्रयत्न सरकार करेगी।

इस घटना के बारे में यह कहा गया कि पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, मेरे पास अभी तक इस घटना की किसी प्रकार की बाकायदा जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो कुछ सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मेरा विचार है कि पुलिस की सर्वथा लापरवाही नहीं रही है और पुलिस ने इस घटना से सम्बन्धित कई एक व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा इस घटना की जांच हो रही है। यह कार्य पूरा होने क बाद अपराधियों को कोर्ट से पूरा दंड दिलाया जायगा। अतः यह कहना सम्भवतः ठीक नहीं होगा, पुलिस के प्रति भी न्याय नहीं होगा यदि यह कहा जाय कि पुलिस इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है।

घटना का रूप अभी तक सामन नहीं आया है, जेसा मैंन निवदन किया है। निश्चित रूप से बाकायदा रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है लेकिन कुछ सूचना मुझे मिली हैं। इस हाउस में इसके दो पृथक रूप रखे गये हैं। जो सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार घटना का रूप यह है, जैसा कि मझे बतलाया गया है कि कुछ मालियों ने अपने कब्जे की जमीन पर कुछ कच्ची झोंपड़ियां बनाई थीं। भोमियों में सम्भवत: यह ख्याल हुआ कि यह स्थायी कब्जे का स्वरूप बनाया जा रहा है। वे सम्भवत: किसानों के कब्जे को स्थायी नहीं मानते, अस्थायी ही मानते हैं। इसी बात को लेकर कुछ भोमिये इकट्टे होकर उस जमीन पर गये बतलाये जाते हैं और उस कच्चे कुंए और झोंपड़ी को हटाने का प्रयत्न किया। स्वभवत: किसानों ने उसका विरोध किया और उस विरोध में झगड़ा हुआ। मेरी सूचना के अनुसार दोनों पक्षों को चोटें आई, किसानों के चोटें आई, भोमियों के चोटें आई हैं और कुछ किसानों के गोलिया भी लगीं, छर्रे भी लगें, भोमियों के तलवारों की चोट आई हैं। एक वृद्ध भोमिये का ह[illegible] कट गया बताया जाता है, एक की अंगुलियां कट गई हैं। यह सब सूचनाएं जो मुझे मिली है यदि सही है तब इस शिकायत का कोई मौका ही नहीं रह जाता कि पुलिस-न मालियों को गिरफ्तार क्यों किया। इस सम्बन्ध में उस समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि मरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती। पर यह मैं जरूर कहूंगा कि पुलिस जिनको दोषी पायेगी जरूर उन्हें गिरफ्तार करेगी, इसमें कोई शिकायत का अवसर ही मालूम नहीं देता। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जो कुछ ये घटनाएं घटी हैं अवांछनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने का सरकार ने प्रयत्न किया है और आगे भी कड़ाई के साथ इनको रोकना चाहती ह। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं मानता हूं कि हरेक ऐसी घटना किसी बड़े षड़यत्र का अंग है। सरकार के पास ऐसी सूचनाओं के प्रमाण हैं कि राजस्थान में कुछ लोग एक षड़यंत्र में लगे हुए हैं और ऐस षडयंत्र के फलस्वरूप कई जगह डकतियां, कई जगह कत्ल आदि हो रहे हैं और उस षडयन्त्र का उद्देश्य हो सकता है राजस्थान सरकार को बदनाम करने का, अयोग्य हराने का, अराजकता फलाने का। ऐसे षडयंत्र फैलाने के सम्बन्ध में, इस सत्य की संजीन्दगी मानने के सरकार के पास कई कारण हैं लेकिन फिर भी मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हरेक घटना इस षड़यत्र का अंग है और मेरा ख्याल ह कि यह घटना एक अलग घटना है जो दुर्भाग्य पूर्ण ह।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को कई एक उपदेश भी दिए गए हैं इस घटना को लेकर। यह कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार पहले ट्राइबल मेन को जिस प्रकार पेन्शने दिया करती थी उसी प्रकार यह सरकार भी शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ ट्राइबल मेन्स को पेन्शनें दे। मैं इस बारे में कहूंगा कि जो ऐसे टाइबल मेन्स हैं उनको पेन्शन देना मैं पसन्द नहीं करूंगा, उनको जेल की हवा खिलाने के अलावा कोई और बात नहीं करूंगा (करतल ध्वनि) यह भी कहा गया ह कि ऐसे डाकुओं को ब्रिटिश गवर्नमन्ट ने राज्य दे दिए थे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह जमाना गया, अब तो जिन डाकुओं को काफी रूपया राज्य से मिला, उन्ह किसी न किसी तरह से खत्म किया जायगा।

एक उपदेश और दिया गया है कि सरकार में कई तत्व ऐसे हैं जो सरकार को लाचार कर देते हैं कि जिनके कारण सरकार कुछ कर नहीं सकती। तो इस बारे में मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें करना न तो सरकार के प्रति न्याय है और न उन अफसरों के प्रति न्याय है, जो कि आज सरकार की सेवा कर रहे हैं। सरकार में कोई तंत्र ऐसे नहीं जो सरकार के कार्य में बाधा डाल सकें। अगर ऐसे तत्व होते तो अब तक या तो वे नहीं रहते या हम लोग सरकार में नहीं होते। इस प्रकार के इन्स्युनियेशन करना मैं समझता हूं न्यायोचित नहीं है। इसके माने यह नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकारी मशीनरी बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ, कुशल और हरेक स्थिति पर काबू पाने के लिए हमेशा ही तैयार है कि उन सब चीजों को पूरा कर सके। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी मशीनरी कई चीजों को ठीक नहीं कर सकती है, कई कामों को पूरा नहीं कर सकी है जो उन्हें करना चाहिए था। पर जैसा कि कहा गया कि कुछ तंत्र ऐसे हैं जो कि सरकार को कुछ करने नहीं देते, और सरकार के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं।

इस विषय में बहस बहुत लम्बी हुई है, उसका लम्बे विस्तार से उत्तर देना मैं समझता हूं कि मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं इस सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करूंगा। ऐसे तो बातें बहुत कही गई हैं, उनके अनुसार तो मुझे भी बहुत कहना चाहिए था पर इस घटना से सम्बन्धित और कुछ खास २ बातों के बारे में जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कही है। साथ ही मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का सरकार ने अब तक प्रयत्न किया है; आगे भी, उससे भी अधिक प्रयत्न करेगी। मैं समझता हूं कि इतना कहने के बाद प्रस्तावक महोदय को यह प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिए।

श्री सरदार हरलालसिंह:—माननीय अध्यक्षजी, इस प्रस्ताव पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है और.....

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Sir, my humble submission is that this debate has taken more than two hours and, therefore, the motion is automatically down. No further discussion should be allowed, Sir. If I am not wrong, we started at 9-45 A. M.

माननीय अध्यक्ष:- We started at 10-30 A. M.

माननीय अध्यक्ष:—तो आप इसका उत्तर दे रहे हैं या वापिस ले रहे हैं।

श्री सरदार हरलालसिंह:—मैं वापिस ले लूंगा, थोड़ा सा कुछ कह दूं।

एक माननीय सदस्य—उत्तर देकर वापस लेने का कायदा नहीं है।

श्री सरदार हरलालसिंह:—मैं वापिस ले लूंगा। अच्छा साहब, मुझे वापस लेने की आज्ञा दीजिए।

श्री जसवन्तसिंह:—माफ कीजिए, वापिस लेने का सवाल ही नहीं होता। यह तो अपने आप ही खत्म हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष:—इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हो चुका है, यह प्रस्ताव भी वापस ले लिया है। अब सदन की बैठक कल साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

वर्तमान सत्र की अवधि बढ़ाने के विषय में वाद-विवाद

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्षजी, मुझे जो अर्ज करना है वह यह है कि एसेम्बली की मीटिंग होने के बारे में इस पक्ष वालों को, जैसा हमें मालूम था कि आज आखिरी तारीख है और इसी के आधार पर हम लोगों में से आधे से ज्यादा ने टिकिट भी खरीद लिए हैं। कल के लिए हमारे से कोई मत नहीं लिया गया है तो कल की एसेम्बली होने का सवाल ही कैसे खड़ा हुआ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--In this connection there is one humble submission which I would particularly like to make. I think the question of adjourning the House till tomorrow raises unfortunately certain legal complications which I placed before the House viz., previous publication of some Government Bills. That the Govt. have proposed that the discussion on the Bills in question may be postponed till tomorrow clearly goes to show that the Government will get them published in the Gazette over night. You will kindly excuse me, Sir, that the publication of the Bills today and their discussion tomorrow is nothing but a colourable device. It will not fulfil the object of previous publication which the Rules so genuinely require. The object of previous publication is that everybody has an opportunity to consider fully the repercussions inside and outside the House. And we should know the re-action of our masters, I mean the public at large. If this kind of publication is accepted as sufficient for the purpose of this House, I submit it will not be in keeping with the healthy traditions. Such colourable devices need not be permitted, Speaker, Sir, in this House.

Hon'ble Shri Tikaram Paliwal:—Sir, when the Speaker has already given order for tomorrow, I do not think any more discussions are called for.

श्री जसवन्त सिंह:—अध्यक्ष महोदय, जहां तक हाउस के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद अध्यक्ष के निर्णय का सवाल है, अध्यक्ष का पद बहुत ऊंचा पद है और उन्हें इस सदन ने ही इस पद पर बिठाया है; इसलिये हमारा हक है कि कोई भी नीति निर्धारित वे नहीं कर सकते; जब तक कि सदन की राय नहीं ली जावे।

Shri Inder Nath Modi—I want to submit that what my friend has said is not in keeping with the rules and procedure of this House. I most respectfully submit that we have some privileges according to all canons of justice and if they are at stake I think we should try to maintain them. And therefore I say that if in the opinion of the Government some measures are really very necessary to meet with famine calamities etc., they can adopt emergency measure and H. H. the Rajpramukh has power to permit promulgation of ordinances until the next Session of the House. And therefore I with all emphasis say that it would serve no useful purpose if we are asked to come tomorrow. If on the other hand the Government wish to observe mere formality for the sake of passing certain bills, as I have already pointed out and want to extend the Session for tomorrow with this ulterior motive then I may say I find myfelf unable to submit to this. The Hon'ble Chief Minister will agree with me considering the spirit of the rule with regard to previous publication.

Hon'ble Shri Tikaram Paliwal:—Sir, I am absolutely convinced that the requirements of law will be fulfilled by publishing the Bill in the Gazette today; but if my friend wants a longer notice, then the Government have no objection if the House is adjourned till the 3rd of the next month. In any case the members will come here on th 2nd in connection with the Presidential election and then weecan sit for two or three days. If this is acceptable, we are prepared to do it.

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले चीफ मिनिस्टर द्वारा हमें यह बतलाया गया था कि सदन की दूसरी बैठक सितम्बर में होगी। आज गवर्नमेन्ट ने गलती करदी है इसलिये उस गलती की सजा दूसरों को क्यों दी जावे और हमारे जो पहले के प्रोग्राम हैं उनको अपसेट करके एक सप्ताह बाद सदन की बैठक क्यों बुलाई जावे। इसके लिये हमें आपत्ति है और हम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है।

Shri Inder Nath Modi:—I do not think, Sir, we should prolong this discussion. I have already made myself quite clear and there is hardly any room for any complicacy or ambiguity. I am surprised at the Chief Minister's contention that immediately after the lapse of a short interval of a few days when he proposes

this House to meet again the requirements of previous publication will be fulfilled. Unless we give due time to consider over the important aspects that the introduction of the Bills will bring to bear on the public, it would defeat the very purpose of the Rule and with your permission I may be allowed to say that it would be a fraud on the Constitution. It is a very important point which affects the legislation and if we are not inclined to consider the necessity of giving proper publication, then I think we lack in the discharge of our duty to the masses we represent. It may be easier for the members who will be here to participate in the election of the President, but there will be others who may not come so soon. Therefore, the adjournment of the House should not be conditional.

श्री विश्म्भरनाथ जोशी—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि कितने अर्से पहले गजट में पब्लिश होना जरूरी है। ऐसी सूरत में जो बातें अभी कही गई हैं किसी लॉ पर बेस्ड नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को ऐसी हालत में यह मानना मुनासिब नहीं होगा कि किसी खास अर्से पहले बिल को गवर्नमेन्ट गजट में पब्लिश किये जाने के बाद ही लिया जावे

Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal:—I do not say that it is compulsory that everybody should come, I only mean that it should be adjourned till 3rd or 4th.

Shri Kapil Deo.—3rd is perhaps Saturday, Sir.

Shri Inder Nath Modi.—I have already submitted that there are some who can afford to come but there are others who will find it extremely inconvenient to come at such a short notice.

As for adjourning the House for tomorrow for getting the mere formalities complied with, I mean publication in the Government Gazette today, I am doubtful, if it is previous publication at all in its truest sense. There must be reasonable previous publication so as to elicit public opinion. But if my Hon'ble friends are bent upon doing otherwise that sort of previous publication, I humbly submit, would be a fraud on the Constitution.

Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal.—The members are already in possession of the copies of the proposed bills and it is not expected that the members of the public will take part in these deliberations here. As for the spirit of previous publication which has been laid emphasis from the opposition, I may submit, it has been fully satisfied in as much as the printed copies were already made available to the Hon'ble members.

Shri Inder Nath Modi.—I think the representatives have a right to consult their own people and then put their views before the House. This is the object behind all previous publications and if that be not so then I respectfully submit that this rule should be eliminated absolutely from our rules.

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—माननीय अध्यक्ष, इस वक्त मोदीजी ने एक यह प्रश्न प्रस्तुत किया है कि गजट में पब्लिकेशन नहीं हुआ है और अब जो पब्लिकेशन किया जायगा और कल इस पर विचार किया जायगा तो समय कम है, काफी नहीं है इसलिये मुनासिब नहीं होगा । मैं इस बारे में बिजनेस रूल्स की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किये देता हूं। ८१ वीं धारा में यह लिखा है कि:—

"As soon as may be after a bill has been introduced the bill shall be published in the gazette"

As such when the Bill has been introduced and published then on such occasion consideration can take place.

इसके लिये इस लिहाज से यह जरूरी नहीं है कि इतना नोटिस इस बीच में होना चाहिये। यह फरमाया गया है कि रीजनेबल नोटिस होना चाहिये। तो इस "रीजनेबल" शब्द का क्या तात्पर्य है। जब कि यह छप गया है तो वर्तमान विशेष परिस्थिति में इसे "रीजनेबल" माना जा सकता है। इसके लिये रूल्स में रूकावट नहीं है ।

Rule 82 is also clear on the point. It lays down:—

"When a bill is introduced or on some subsequent occasion the Member-in-Charge may make one of the following motions in regard to his bill viz.,:—

(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(b) that it be referred to a Select Committee, or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by a date to be specified in the motion."

Shri Inder Nath Modi:—I do not think any further discussion is really called for. The particular rule to which the Hon'ble Law Minister has drawn attention was already considered by me. I have put up my opinion. If the condition of previous publication has any meaning whatsoever, every citizen of Rajasthan has got a right to consider the reactions and that publication is supposed to be a condition preceding to our passing any law. Legislation is not a matter to be rushed through. In matters of legislation we should proceed cautiously and the rule of previous publication has been made for this

purpose. It has some meaning. Therefore I most respectfully submit that its publication today and discussion tomorrow is too big a proposition which I cannot accept. In matters of legislation we should follow the rules as they are without trying to stretch. With these words, Sir, I submit once again to let such healthy traditions be created in this House.

श्री कपिलदेव:–रूल ८१ यह कहता है कि 'एज सून एज मे बी' तथा रूल ८२ यह कहता है कि 'वेन ए बिल इज इन्ट्रोडयूज्ड'। तो मेरा अर्ज करने का यह मतलब है कि सेक्शन ८२ के अनुसार कंसिड्रेसन के लिये मूव किया जाता है तो क्या प्री पब्लिकेशन नेसेसरी (आवश्यक) है ? हाउस में प्रस्तुत होने के बाद पब्लिश किया जायगा। इसलिये माननीय सदस्य प्रिवियस पब्लिकेशन का हेडिंग देखकर जो यह बहस कर रहे हैं और यह समझा रहे हैं कि पब्लिकेशन कंसिड्रेसन की स्टेज के पहले होना आवश्यक है; ठीक नहीं। मैं सबमिट करूंगा कि कंसिड्रेशन पहले भी हो सकता है।

Shri K. L. Shah: –Sir I would submit that looking to the objects of the Bills and the acute problem of famine and the deplorable condition of the masses in the famine stricken areas the technical difficulties put forward should not be given undue importance of; otherwise I don't think we will be doing justice to the starving masses.

Hon'ble Shri Tikaram Paliwal.:—Sir, my friend has laid much stress on giving priority to previous publication. I quite appreciate the arguments he has advanced. But then, Sir, there are laws and laws. There may be laws which require that these should be before the public for a considerable period of time. But some times it becomes necessary, nay, imperative to rush through owing to emergency conditions. In that case they do not require any long notice . And there are laws which are of simple nature and which do not require any notice. The Bills before the House are of one or the other category. Some relate to minor amendments in the Protection Act. It is not a law which requires publication. As a matter of fact it has been necessitated because of certain judgments of the Revenue Board, otherwise the Law is there. Since some mis-understanding has been created it has become necessary to clarify the position. Then there is another Law relating to famine conditions but all the same it is important and the conditions through which we are passing necessitate that we should pass the Bill . It is not a bill of controversial nature. And this too is of an urgent nature and I should say at the same time that it is not controversial. I don't think any body will doubt the propriety of a Bill which restricts and wants control and puts a check on rack-renting of many a serious nature. There are land-lords who are charging rents fifteen times.

(विचार जारी)

Shri Inder Nath Modi.:—On a point of order Sir.

We are not discussing about the principles of the bills. I strictly confine myself to the legal aspect. And they should be dealt with that aspect.

Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal.:—To brief it, my humble submission is that if it does not suit the members to discuss these bills tomorrow the House may be adjourned for 3rd or 4th.

Shri Jaswant Singh:—Mr. Speaker, Sir. We have heard the Hon'ble Chief Minister. But it is purely a legal question. When the Hon'ble Chief Minister is so keen then what is the necessity of having any rules.

Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal:—We are abiding by the Rules. Further, I do not show any keenness, they are absolutely necessary.

Shri Inder Nath Modi:—Before the session what was there to prevent them from publishing. Whose default is this.?

Hon'ble Chief Minister:—As the Press was awfully engaged in printing several Bills it could not find time to publish these.

Shri Jaswant Singh:—But they are under the Government control.

Hon'ble Shri Inder Nath Modi:—Could Government not issue orders to the press to give priority over others?

Shri Kapil Deo:—I will draw attention of the Hon'ble member to Rule 81 of the Rules of Procedure.........

Shri Inder Nath Modi:—Does the Hon'ble member think me so foolish. I have considered the whole show. I will tell him that previous publication is absolutely essential and it is not a mere formality.

Hon'ble Speaker:—This question will be open to discussion till tomorrow.

Shri Jaswant Singh:—We emphatically protest. We will not take part.

Hon'ble Speaker:—Order, Order.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष:–अब सदन की बैठक कल वृहस्पतिवार दिनांक २४–४–५२ के प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(इसके पश्चात् सदन दिनाक २४–४–५२ के प्रातः काल ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.

टाउन हॉल
जयपुर
२३-४-५२
